अनुलग्नक



अनुलग्नक-। (अध्याय-॥। के प्रस्तावनात्मक पैरा में संदर्भित) 29 नमूना संपत्तियों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1. केन्द्रीय विद्यालय, एन्ड्रयूज गंज

वर्ग	विद्यालय
संपत्ति आई.डी	24501
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	17,417.67 वर्ग मीटर (4.304 एकड़)
आबंटन की तिथि	सितम्बर 1968
आबंटन के समय जमीन का किराया (प्रति वर्ष)	₹1076

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
निरीक्षण	एलएंडडीओ ने जवाब दिया	उत्तर दर्शाता है कि
1. बिना संस्वीकृत भवन योजना के निरीक्षण किया गया।	(दिसम्बर 2020) कि स्कूल	यद्यपि एलएंडडीओ ने
2. जुलाई 2011 के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।	प्राधिकारियों ने अभी तक	लेखापरीक्षा अवलोकन
	इस कार्यालय को संस्वीकृत	स्वीकार किया और
अन्य मुद्दे	भवन योजना प्रस्तुत नहीं	कार्रवाई शुरू की, लेकिन
3. लेखापरीक्षा ने पिछली प्रतिवेदन (2009-10) में बताया था कि प्लॉट	की, अतः उल्लंघनों का सही	रवैया उदासीन है क्योंकि
का उप विभाजन 2004 में किया गया और प्लॉट का एक हिस्सा एलएंडडीओ	मात्रा में पता नहीं लगाया	स्कूल प्राधिकारियों को

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा	की	पुन:
		टिप्पणियां		
6. एलएंडडीओ न तो उल्लंघनों को दूर करने के लिए कोई प्रभावी प्रयास	को अंतिम अवसर दिया			
किया न ही पट्टेदार से दुरूपयोग और क्षति प्रभारों के लिए कोई माँग पत्र जारी	जाएगा। यदि उक्त को			
किया।	प्रस्तुत नहीं किया गया, तब			
बकाया देय	प्रभारों को तैयार करने का			
	निर्णय लिया जाएगा और			
7. भूमि किराया और भूमि किराया पर ब्याज के रूप में ₹2.04 लाख की	उन्हें सूचित किया जाएगा।			
राशि बकाया थी। क्षतियों और दुरूपयोग प्रभारों के कारण अन्य देयों को	,			
रिकॉर्डों से नहीं निकाला जा सका है।				

2. विद्या भवन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, (वीबीजीएचएसएस), करोल बाग

	-
वर्ग	विद्यालय
संपत्ति आई.डी	25181
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	5,956.972 वर्ग मीटर (1.472 एकड़)
आबंटन की तिथी	सितम्बर 1959
आबंटन के समय जमीन का किराया (प्रति वर्ष)	₹368

ति वीबीजीएच विधिवत जा स्तुआ था। अप्रैल 1984 के बाद भूमि किराया की प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2. जनवरी 1989 में भूमि किराया का संशोधन होना था, हालांकि, इसे नवम्बर 2003 में संशोधित किया गया। 3. भूमि किराया और भूमि किराया पर ब्याज के रूप से ₹102 लाख बकाया था।	जवाब दिया (दिसम्बर 2020) एसएस ने स्थानीय निकाय द्वारा	जवाब दर्शाते है	
3. भूमि किराया और भूमि किराया पर ब्याज के रूप में ₹1 02 व्याख बकारा था।	किए गए अपेक्षित संस्वीकृत को जनवरी 2020 तक प्रस्तुत अनुरोध किया गया था। एस ने भूमि किराया एवं अन्य	अवलोकन को अ और कार्रवाई श् रवैया उदासीन	लेखापरीक्षा स्वीकार किया हरु की लेकिन है क्योंकि
निरीक्षण 4. परिक्षेत्र का निरीक्षण जून 2008 के बाद नहीं ने विद्यालय किया गया था। 20.07.2020	देरी से भूगतान आदि के प्रेषण	जवाब देने वे अवसर दिए जा	रहे हैं। तथ्य

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	की	पुन:
 अन्य मद्दे र825 के भूमि किराया, ब्याज, शास्ति आदि के लिए मांग अप्रैल 1984 में जारी किया गया था। ि निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत निर्माण पाया गया था, तथापि, उल्लंघन नोटिस/ मांग नोटिस वीबीजीएचएसएस को जारी नहीं किया गया था। मूल रिकॉर्डों में दी गई सूचना की तुलना में ई-धरती में भरे गए डेटा में विसंगतियां थी। बकाया देयः क्षितियों और दुरुपयोग प्रभारों के कारण बकाया देयों को रिकॉर्डों से परिकलित नहीं किया जा सका। 	तक आतम अवसर दिया गया था। उक्त का उपलब्ध कराने में विफलता की स्थिति में	कारण, एल नहीं कर अलावा, पट्टेदार से	रहा था। एलएंडडीओ	इसके ने

3. बाल भारती विद्यालय, पूसा रोड

वर्ग	विद्यालय
संपत्ति आईडी	29207
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	4,370.60 वर्ग मीटर (1.08 एकड़)
आबंटन की तिथी	फरवरी 1963
आबंटन के समय जमीन का किराया (प्रति वर्ष)	₹270

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020)	एलएंडडीओ के उत्तर को इस
1. भूमि किराया का संशोधन जनवरी 1992 में	कि विद्यालय को मांग जारी करने के बाद	तथ्य के प्रकाश में देखना होगा
होना था और उसके बाद कम से कम 30 वर्षों की	एलएंडडीओ की भूमि दरें 17.05.2017 को	कि सरकारी बकायों की वसूली
प्रत्येक क्रमिक अवधि के अंत में होना था, हालांकि,	संशोधित की गई थी जो अप्रैल 2020 में लागू	•
भूमि किराया में वृद्धि नहीं की गई।	हुई। तद्नुसार, विद्यालय को जारी की गई	से लंबित है और एलएंडडीओ ने
ि निरीक्षण	मांग को संशोधित भूमि दरों पर अद्यतन	प्रकोप से पहले भी बकायों की
	किया जा रहा है और यह प्रक्रियाधीन है। उसी	वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई
2. एलएंडडीओ ने नियमित अन्तराल अर्थात फरवरी	\(\text{\chi}\) \(\text{\chi}\	
1999, जुलाई 2003, मई 2005, फरवरी 2012,	को उठाया गया था और सक्षम प्राधिकारी से	मई 2017 में भूमि दरों के
अक्टूबर 2016 और फरवरी 2019 में निरीक्षण किए	अनुमोदन लिया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी	संशोधन के बाद, संशोधित
तथा नवम्बर 2016 और मार्च 2019 में उल्लंघन	के अनुमोदन के बाद, भूमि किराया को	मांग पत्र चार वर्ष से अधिक
नोटिस जारी किए गए थे।	संशोधित किया जाएगा और एलएंडडीओ की	समाप्त होने के बाद भी जारी
	नीति और प्रथा के अनुसार वसूल किया	नहीं किया गया था। भूमि

3. जून 2015 में पट्टेदार को ₹7.97 करोड़ के	गएगा। एलएंडडीओ पूरे उत्साह के साथ गमले को देख रहा था लेकिन कोडल गौपचारकताओं के कारण कुछ देरी अपरिहार्य	ही बहुत देरी से हुआ (जिसे
बाद न तो कोई मांग पत्र जारी किया गया और न ही संपत्ति के पुनः प्रवेश के लिए कार्रवाई की गई। एलएंडडीओ ने फरवरी 1999 में पहली बार अनाधिकृत निर्माण देखने के बाद जून 2015 में पट्टेदार को ₹7.97 करोड़ की मांग जारी करने के लिए 16 वर्ष का समय लिया। अगस्त 2018 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 4. 1978 में एमसीडी द्वारा भवन योजना संस्वीकृत किए जाने के बाद भी पट्टा विलेख को कार्यान्वित नहीं प्रारंकिया गया था। बकाया देय	ता। एलएंडडीओ यथासंभव कम समय में मामले को अंतिम रूप देगा और मांग को पूरा करने का प्रयास करेगा। लएंडडीओ ने आगे उत्तर दिया (अप्रैल 2021) कि कोविड-19 महामारी के कारण और डीओपीटी आदेश के अनुसार, देश मार्च 6, 2020 से लॉकडाउन के अधीन था और कार्यालय नियमित रूप से कार्यशील नहीं था। व्हिंक कार्यालय ने नियमित रूप से कार्य करना गरंभ कर दिया है, जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी बकायों की सूली के लिए अद्यतन मांग उठाने की	अभी भी समीक्षाधीन है।
5. क्षिति एवं दुरुपयोग प्रभारों के कारण ₹10.89 कार् करोड़ की राशि बकाया थी।	गर्रवाई पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है।	

4. डेली मिलाप, बहादुर शाह जफर मार्ग

वर्ग	प्रेस
संपत्ति आई.डी	20860
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	1019.81 वर्ग मीटर (0.252 एकड़)
आबंटन की तिथी	अगस्त 1964
आबंटन के समय जमीन का किराया (प्रति वर्ष)	₹787.50

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
 भूमि किराया 1. 01 जनवरी 1994 को या उसके बाद प्रत्येक क्रमिक अविधि, जो 30 वर्ष से कम नहीं होगी, के अंत में पट्टादाता के विकल्प पर भूमि किराये को संशोधित किया जाना था। हालांकि, भूमि किराये को दिसम्बर 2004 में संशोधित कर ₹4725.00 किया गया। 2. जून 1980 के बाद भूमि किराया प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2005 के सिवाये) 3. अप्रैल 2016 से मार्च 2019 की अविध के दौरान भूमि किराये की प्राप्ति के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई। 	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि पट्टेदार की ओर से लंबित सरकारी देयों की गणना करने से पहले सक्षम प्राधिकारी ने सम्पत्ति के निरीक्षण का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करने के लिये कि सम्पत्ति का उपयोग प्रेस उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है या नहीं। फाइल अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जा रही	एलएंडडीओ ने जून 1986 में पहली बार उल्लंघनों के नियमन के लिये मांग पत्र जारी किया था। 34 वर्षों बाद अर्थात 2020 में, फाइल को यह पता करने के लिये कि क्या सम्पत्ति का उपयोग प्रेस उद्देश्य के लिये किया जा रहा

कछ अन्य मामलों में

लेखापरीक्षा अवलोकन एलएंडडीओ का उत्तर लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां थी।एक बार देयों को अंतिम निरीक्षण कराने के लिये अन्य देय प्रस्तुत की जा रही है। रूप देने के बाद तथा पट्टेदार दिसम्बर 2011 में ₹42.11 करोड़ के लिए पिछला मांग पत्र जारी किया पट्टे की शर्तों के अनुसार द्वारा किसी दशा में इसका गया। उसके बाद, एलएंडडीओ ने 2017 में भूमि दरों को संशोधित किया जो सन् बिना उचित कार्रवाई अनुपालन नहीं किया जाता, 2000 से प्रभावी था। एलएंडडीओ ने मांग जारी करने के बाद संशोधित मूल्यों को तब पट्टा शर्त की शर्तों के किये सम्पत्ति का बार-आकलन नहीं किया। अनुसार कार्रवाई की जायेगी। बार निरीक्षण करना, निरीक्षण निरीक्षण के उद्देश्य को अक्टूबर 2013 के बाद, जून 2018 में सम्पत्ति का निरीक्षण किया गया एलएंडडीओ ने आगे उत्तर पराजित करता तथा उप किराएदारी सहित उल्लंघन/ द्रपयोग पाया गया था। ज्लाई 2018 में दिया (अप्रैल 2021) कि क्योंकि न तो उल्लंघनों उल्लंघन नोटिस जारी किया गया। उसके पश्चात, उल्लंघनों को समाप्त करवाने कोविड-19 महामारी के कारण को स्धारा गया और न तथा सम्पत्ति के पून: आबंटन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। डीओपीटी आदेश के ही उल्लंघनों के कारण अन्य मुद्दे अन्सार, 26.03.2020 से देश ह्ए देयों की वसूली की में लॉकडाउन था तथा अक्टूबर 2011 में, बहाद्र शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में स्थित प्रेस/ गई। इसके अलावा, देयों कार्यालय नियमित रूप से मीडिया प्लॉट के संदर्भ में द्रपयोग तथा अनाधिकृत निर्माण के निर्धारण के लिए की वस्त्री न होने तथा संचालित नहीं हो रहा था। मानदण्डो/ सिद्धांतों को व्यवस्थित/ तर्कसंगत बनाने के लिए एक नीति बनाई गई। उल्लंघनों का निवारण एलएंडडीओ के कर्मचारी तथा इस नीति में उद्देश्य का स्थाई संपरिवर्तन तथा दुरुपयोग को विनियमित करने न होने के बावजुद, उनके परिवार के सदस्य भी इत्यादि की स्वीकृति की शर्तों का वर्णन है। तद्नुसार, एलएंडडीओ ने दिसम्बर एलएंडडीओ ने पुनः प्रवेश कोविड से प्रभावित थे तथा 2011 में उल्लंघनों को अस्थायी रूप से नियमित करने के लिए शर्तेप्रस्तावित की के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कोविड प्रोटोकाल के कारण तथा ₹42.11 करोड़ मांग पत्र जारी किया गया। यदयपि पट्टेदार ने इस मांग का नहीं की। न्यायालय ने कर्मचारियों को छुट्टी लेनी पड़ी

विरोध किया परंत् एलएंडडीओ ने इसे स्वीकार नहीं किया।

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
7. दिसम्बर 2013 में उल्लंघन नोटिस जारी करने के बाद, लगभग चार वर्ष बाद, नवम्बर 2017 तक, जब एलएंडडीओं ने सम्पत्ति का निरीक्षण करने का निर्णय िया, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 8. पट्टे के करार में यह खण्ड होने के बावजूद िक पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमित के बिना पट्टेदार भूमि अथवा परिक्षेत्र में निर्मित िकए गए भवन के किसी भाग को उप-िकराएदारी अथवा िकराए पर नहीं देगा, सम्पत्ति को एलएंडडीओं की बिना अनुमित के वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये उप-िकराएदारी पर दे दिया गया। 9. फाइल में उपलब्ध स्थायी पट्टे की प्रति पर हस्ताक्षर नहीं था। 10. डेली मिलाप द्वारा िकए गए सम्पूर्ण भुगतान का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं था। ई-धरती डाटा ने प्रदर्शित िकया िक केवल जनवरी 1995 में भूमि िकराये का भुगतान िकया गया था तथा जुलाई 1980 से जुलाई 1986 की अविध के लिए केवल ₹20.20 लाख वर्तमान देय दिखाया गया। इसके अलावा, ई-धरती में डाटा पूर्ण नहीं था क्योंिक अधिकतर कॉलम खाली थे। 11. फरवरी 2020 में एलएंडडीओं के तकनीकी कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त िनरीक्षण ने सम्पत्ति के नये उल्लंघनों व दुरूपयोग को उजागर किया गया। बकाया देय 12. भूमि िकराया, भूमि िकराये पर ब्याज तथा हर्जाने/ दुरुपयोग प्रभारों के ₹56.07 करोड़ की राशि बकाया थी।	नियमित रूप से कार्य प्रारम्भ हो चुका है, आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जायेगी। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति में पुनः प्रवेश करने के लिये कार्रवाई हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही प्रेस प्लॉट प्रकरण लंबित है तथा न्यायालय ने पुनःप्रवेश पर	रोक दिया, ऐसा कारण उद्धृत करके एलएंडडीओ केवल अपने कर्तव्य के निर्वहन से बच रहा है।

5. डेली तेज

वर्ग	प्रैस
संपत्ति आई.डी	21719
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	1015.76 वर्ग मीटर (0.251 एकड़)
आबंटन की तिथि	अगस्त 1964
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹784.40

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया	एलएंडडीओ ने दिसम्बर 1972 से
 भूमि किराये का संशोधन जनवरी 1994 में होना था, हालाँकि यह नवम्बर 2004 में संशोधित हुआ। दिसम्बर 1997 के बाद भूमि किराये की प्राप्ति नहीं हुई। जुलाई 2012 से मार्च 2019 की अविध में भूमि किराये की प्राप्ति के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई। निरीक्षण मई 2013 के बाद फरवरी 2019 में निरीक्षण किया गया तथा मार्च 2019 में उल्लंघन नोटिस जारी किया गया था। निरीक्षण बिना संस्वीकृत भवन योजना के किया गया। 	(दिसम्बर 2020) कि मामले की हाल ही में जांच की गई थी तथा भूमि और विकास अधिकारी ने यह पता लगाने का निर्देश दिया कि परिसर का कितना क्षेत्र प्रैस उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा रहा है तथा प्रेस आबंटन नीति का पालन किया गया था या नहीं। तदनुसार, शीघ्र निरीक्षण करने	विभिन्न दुरुपयोगों तथा अनाधिकृत निर्माणों को पाया। 48 वर्षों बाद अर्थात् दिसम्बर 2020 में यह ज्ञात करने के लिये कि क्या सम्पत्ति का उपयोग प्रैस उद्देश्य के लिये किया जा रहा था
	लिये मामले को तकनीकी अनुभाग	प्रवेश के लिये कार्रवाई प्रारम्भ
	को संदर्भित किया गया।	की। न्यायालय ने कुछ अन्य

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
अन्य मुद्दे 4. एलएंडडीओ द्वारा नवम्बर 2011 में ₹1.01 करोड़ के लिये मांग पत्र जारी किया गया। मांग के विरुद्ध केवल ₹10 लाख प्राप्त हुए। 5. करार का उल्लंघन करते हुए डेली तेज ने समय-समय पर पिरसरों को विभिन्न निजी फर्मों को उप-िकराएदारी पर दिया। डेली तेज के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के बजाय, एलएंडडीओ ने केवल समय-समय पर मांग नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी किए।	(अप्रैल 2021) कि कोविड-19	सरकारी देयों की वसूली कोविड के प्रारम्भ के बहुत पहले से लंबित है और एलएंडडीओ ने कोविड के प्रारम्भ होने से पहले भी सरकारी

6. गुलाब सिंह एंड संस

वर्ग	प्रेस
संपत्ति आई.डी	21590
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	2,731.68 वर्ग मीटर (0.675 एकड़)
आबंटन की तिथि	23 फरवरी 1953
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹2109.06

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया	एलएंडडीओ के उत्तर को
 1. भूमि किराया 1 जनवरी 1983 को संशोधित किया जाना था;	(दिसंबर 2020) कि प्रेस	इस तथ्य के आलोक में
हालाँकि, भूमि किराया को 10.08.2004 यानी 21 साल बाद संशोधित किया	भूखंडों पर दिशानिर्देशों को	देखा गया कि सरकारी
गया।	ध्यान में रखते हुए, पट्टेदार	बकाये की वसूली कोविड के
निरीक्षणः	को 20.03.2020 को ₹17.06	प्रकोप से बहुत पहले से
	करोड़ की माँग जारी की गई	लंबित है और एलएंडडीओ ने
2. सितम्बर 2012 के बाद अगस्त 2018 में निरीक्षण किया गया और	थी। इस माँग पत्र के जवाब	इस प्रकोप से पहले भी
अक्तूबर 2018 में उल्लंघन नोटिस जारी किया गया,	में पहेदार ने उचित निरीक्षण	वसूली के लिए प्रभावी
3. विभिन्न उल्लंघन पाए गए और अंतिम माँग-पत्र दिसंबर 2019 में	रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण	कारवाई नहीं की थी।
जारी किया गया था। हालांकि, न तो बकाया की वसूली की गई और न ही	विवरण के साथ वास्तविक	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
पुनः प्रवेश के लिए कारवाई शुरू की गई थी।	गणना प्रदान करने का	इसके अतिरिक्त उन कारणों
4. मई 1975 और अगस्त 2018 के बीच परिसर का निरीक्षण किया	अनुरोध किया था। इसे प्राप्त]
गया और उल्लंघन पाया गया, लेकिन डिमांड नोटिस जारी करने में 30 साल	करने के बाद पट्टेदार ने	3
से अधिक (मई 1975 से) समय लग गया।	अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत	मामलों में पुनः प्रवेश के
	किया था जिसकी जाँच की	आदेशों पर रोक लगा दी थी,
5. सितंबर 1953 में पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन पट्टा	जा रही थी। यदि पट्टाधारक	एलएंडडीओ केवल अपने
विलेख निष्पादित नहीं किया गया था।	माँग की गई राशि जमा करने	कर्तव्यों का निर्वहन करने से
अन्य मुद्देः	में विफल रहता है, तो पट्टे के	बच रहा है।
6. अक्टूबर 2011 में बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में स्थित प्रेस/	नियम एवं शर्तों के अनुसार	तथ्य यह है कि नवंबर
मीडिया भूखंडों के संबंध में दुरुपयोग और अनधिकृत निर्माण के निर्धारण के	दण्डात्मक कार्रवाई की	2011 में उठाई गई ₹8.27
लिए मापदंड/ सिद्धातों को सुव्यवस्थित/ तर्कसंगत बनाने के लिए एक नीति	जाएगी।	करोड़ की माँग जो मार्च
तैयार की गई थी। नीति ने उद्देश्यों के स्थाई संपरिवर्तन और दुरुपयोग आदि	एलएंडडीओ ने आगे उत्तर	2020 तक बढ़कर ₹17.06
को विनियमित करने के लिए शर्तों को निर्धारण किया। तदनुसार एलएंडडीओ	दिया (अप्रैल 2021) कि	करोड़ हो गई थी,
ने नवंबर 2011 में उल्लंघन के अस्थाई नियमितीकरण के लिए शर्तों की	कोविड-19 महामारी के कारण	एलएंडडीओ द्वारा अभी तक
पेशकश की और ₹8.27 करोड़ के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया	और डीओपीटी के	वसूल नहीं की गई है।
था। हालांकि पट्टेदार ने इस मांग का विरोध किया, एलएंडडीओ ने उसे	आदेशानुसार देश 26 मार्च	,
स्वीकार नहीं किया।	2020 से लॉकडाउन में था	
7. संशोधित भूमि दरों के आधार पर 31.12.2019 को क्षति, दुरुपयोग	और कार्यालय नियमित रूप	
एवं अनाधिकृत निर्माण आदि की राशि ₹8.78 करोड़ का मांग नोटिस जारी	से काम नहीं कर रहा था।	
	चूंकी कार्यालय ने नियमित	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा	की	पुन:
		टिप्पणियां		
किया गया था। तथापि नवंबर 2011 से जारी ₹8.27 करोड़ की पूर्व माँग	रूप से काम करना शुरू कर			
इस नोटिस में नहीं शामिल थी। इन बकाया की वसूली अभी बाकी है।	दिया है जल्द से जल्द			
 8. एलएंडडीओ के ई-धरती पोर्टल में संपत्ति से संबंधित विभिन्न विवरण	आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।			
भरे नहीं गए थे।	इसके अतिरिक्त संपत्ति में			
	फिर से प्रवेश करने के लिए			
बकाया देय	कार्यवाई करने के लिए,			
9. दिनांक 14.01.2020 की स्थिति के अनुसार भू-धारक पर ब्याज तथा	माननीय सर्वोच्च न्यायालय			
हर्जाना/ दुरुपयोग प्रभार आदि के रूप में ₹18.72 करोड़ की राशि बकाया थी।	में एक प्रेस प्लॉट मामला			
	पहले से ही लंबित है और			
	न्यायालय ने पुनः प्रवेश पर			
	रोक लगा दी है।			

7. होटल ली मेरिडियन, जनपथ

वर्ग	होटल
संपत्ति आई.डी	21703
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
प्लॉट का आकार	17,361.39 वर्ग मीटर (4.29 एकड़)
आबंटन की तिथि	30 जुलाई 1983
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹24,91,632

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया (दिसंबर	2009-10 कि सीएजी रिपोर्ट
1. लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई गई संबंधित फाइलों में	2020) कि माँग पत्र जारी करने के	सं. 6 में भी इस मुद्दे को
15.07.2012 से 14.07.2018 की अवधि के लिए भूमि किराया की	बाद एनडीएमसी को सरकारी बकाया	उठाया गया था, इसलिए यह
वसूली से संबंधित अभिलेख नहीं पाए गए।	राशि की वसूली के लिए कई	बह्त लंबे समय से लंबित है।
2. आबंटन की तिथि अर्थात जुलाई 1983 से 30 वर्षीं पूरे होने	अनुस्मारक जारी किए गए थे। इस	पिछली माँग पट्टेदार को
के बाद भूमि किराया को जुलाई 2013 में संशोधित किया जाना था,	संबंध में दिनांक 08.02.2019 को	जनवरी 2012 में जारी की
हालांकि इसे अभी तक संशोधित करना बाकी है।	सचिव एनडीएमसी को एक कारण	गई थी, हालांकि नौ साल से
अन्य बकायाः	बताओ नोटिस जारी किया गया था	अधिक समय बीत जाने के
3. समय-समय पर परिसरों का निरीक्षण किया गया और	जिसमें अनुरोध किया गया था कि	बाद भी अद्यतन मांग पहेदार
निरीक्षण के दौरान एलएंडडीओ ने देखा कि संपत्ति का हिस्सा उन	इस संबंध में स्पष्टीकरण, पत्र जारी	को जारी नहीं की गई है। इस
उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जिनके लिए	होने के तारीख से 30 दिनों के	प्रकार एलएंडडीओ का यह

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा	की	पुन:
		टिप्पणियां		
निरीक्षण	की जाएगी। इसके अलावा, केन्द्र			
5. परिसरों का अंतिम निरीक्षण जुलाई 2010 में किया गया था	सरकार अर्थात भूमि स्वामित्व			
और उसके बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया।	एजेंसी और स्थानीय निकाय अर्थात			
अन्य मुद्देः	एनडीएमसी के बीच विवाद है। अतः			
6. कोई भी स्थायी पट्टा निष्पादित नहीं किया गया है।	आबंटन या पट्टा विलेख की शर्तों के			
7. एनडीएमसी द्वारा संस्वीकृत भवन योजना प्रस्तुत नहीं की	अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।			
गई थी।	एलएंडडीओ केवल यही कर सकता			
8. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण एलएंडडीओ के ई-धरती पोर्टल	है कि आबंटन रद्द कर दिया जाए			
में नहीं भरा गया था।	और भूखंड पर कब्जा कर लिया			
बकाया देय	जाए। अद्यतन मांग तकनीकि			
9. भूमि किराया, भूमि किराए पर ब्याज और क्षति/ दुरूपयोग	स्कंध के परामर्श के प्रक्रियाधीन है।			
प्रभारों के प्रति ₹191.20 करोड़ की राशि बकाया थी।				

8. होटल ताज मान सिंह

वर्ग	होटल
संपत्ति आई.डी	24615
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
प्लॉट का आकार	15297.45 वर्ग मीटर (3.78 एकड़)
आबंटन की तिथि	13 जुलाई 1976
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹2,28,700

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
9-FC	2000)	
भूमि किराया	अपन उत्तर (दिसंबर 2020)	2009-10 की सीएजी रिपोर्ट
1. आबंटन की तिथि अर्थात जुलाई 1976 से 30 वर्षों के बाद, भूमि	में यह कहा गया था कि	संख्या 06 में भी इस मुद्दे
किराए को जुलाई 2006 में संशोधित किया जाना था। हालांकि इसे अभी भी	एलएंडडीओ मामले को जल्द	को उठाया गया था इसलिए
संशोधित किया जाना था।	से जल्द सुलझाने के लिए	यह बहुत लंबे समय से
अन्य बकाया	कड़ी मेहनत कर रहा था	लंबित है। इस प्रकार
2. समय-समय पर परिसर का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के	और एमडीएमसी को समझा	एलएंडडीओ की यह दलील
दौरान एलएंडडीओ ने देखा कि संपत्ति के हिस्से का उपयोग उस उद्देश्य के	रहा था। अंतिम उपाय में,	कि कोविड-19 महामारी के
अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा था जिसके लिए आबंटन किया	एलएंडडीओ दंडात्मक	कारण कार्रवाई नहीं की जा
गया था। होटल ने स्वीकृत भवन योजना से परे निर्माण किया था। क्षति	कार्रवाई करने और आबंटन	सकती स्वीकार्य नहीं है।
शुल्क, दुरूपयोग शुल्क आदि के संबंध में अंतिम मांग-पत्र फरवरी 2018 में	को रद्द करने के लिए बाध्य	अद्यतन मांग पट्टेदार को
₹132.83 करोड़ के लिए जारी किया गया था। एनडीएमसी से बकाया	होगा।	जारी नहीं की गई है। इसके

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
सरकारी देय राशि की वसूली के लिए मामलों को प्रभावी ढंग से न मानने के कारण एलएंडडीओ ने फरवरी 2018 में मांग जारी होने के दो साल से अधिक समय बीत जने के बावजूद ₹132.83 करोड़ की बकाया राशि की उपयुक्त कारवाई/ वसूली नहीं की। यह मुद्दा भूमि और विकास कार्यालय के कार्यप्रणाली पर 2009-10 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 06 में भी उठाया गया था और पीएसी की 59 ^{वी} रिपोर्ट के अनुसार पीएसी के सवाल का जबाव देते हुए, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा था कि यदि एनडीएमसी उनके द्वारा मांग किए गए प्रभारों का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होती है, तो मंत्रालय बकाया वसूलने के लिए कानूनी उपायों का सहारा लेगा। तथापि, एलएंडडीओ द्वारा बकाया राशि की वसूली में विफल रहने के बावजूद ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। िरीक्षण 3. जुलाई 2010 के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। 5. एनडीएमसी द्वारा भवन योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। स्वीकृत भवन योजना के अभाव में, यह स्पष्ट नहीं है कि एलएंडडीओ कैसे दुरूपयोग और अनाधिकृत निर्माण के मुद्दों को उठा रहा था। 6. भूमि किराया/ अतिरिक्त भूमि किराया, देय होने की तिथि तथा भूमि किराया, अतिरिक्त भूमि किराया की दरे/ राशि का विवरण तथा एलएंडडीओ को प्राप्त हुई राशि को भूमि किराया रजिस्टर में दर्ज़ नहीं पाया गया।	(अप्रैल 2021) कि कोविड 19 महामारी के कारण और डीओपीटी के आदेशानुसार देश 26.03.2020 से लॉकडाउन में था और कार्यालय नियमित रुप से काम नहीं कर रहा था। चूंकि कार्यालय ने नियमित रुप से	अलावा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा पीएसी को दिए गए आश्वासन के नौ साल बाद भी एलएंडडीओ ने बकाया की वसूली न होने के बावजूद कानूनी उपायों का सहारा नहीं लिया है।

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	की	पुन:
 एलएंडडीओ के ई-भूमि पोर्टल में संपत्ति का पूरा विवरण नहीं भरा गया था। बकाया राशि 8. ₹159.65 करोड़ की राशि भूमि किराया, भूमि किराया पर ब्याज तथा क्षति/ दुरूपयोग प्रभार के रूप में बकाया था। 	कर दिया जाए और भूखण्ड पर कब्जा कर लिया जाए।			

9. विद्या सागर मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, नेहरू नगर

वर्ग	अस्पताल
संपत्ति आई.डी	30284 और 21508
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	14,164 वर्ग मीटर (3.5 एकड़)
आबंटन की तिथि	मई 1984
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹1,769

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया (दिसम्बर	एलएंडडीओ का उत्तर
1. भूमि किराए के संशोधन की देय तिथि आबंटन की	2020) कि सरकारी बकाया की गणना	स्वीकार्य नहीं है क्योंकि
तिथि (मई 2014) से 30 वर्ष में ली गयी थी, क्योंकि पहा	जुलाई 2016 में ₹9.74 करोड़ की राशि	लेखापरीक्षा को ऐसा कोई
विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। जमीन का किराया	के दुरुपयोग/ क्षति के कारण की गई	दस्तावेज नहीं मिला
संशोधित नहीं किया गया था।	थी, लेकिन इसे पट्टेदार को सूचित नहीं	जिसमें कहा गया हो कि
2. एलएंडडीओ ने जमीन का किराया वसूल करने के लिए	किया गया था क्योंकि तत्कालीन	पट्टेदार के पुन:प्रवेश आदेश
कोई कार्रवाई नहीं की।	एलएंडडीओ द्वारा यह देखा गया था कि	जारी किये गए थे। साथ
अन्य बकाया	माँग को पुन: प्रवेश कि गयी संपत्ति को	ही एलएंडडीओ ने पुन:प्रेवश
	नहीं भेजा जा सकता है। ईडब्ल्यूएस	आदेशो के समर्थन में कोई
3. जनवरी 2014 में पट्टेदार को ₹6.14 करोड़ की माँग	श्रेणी के नि:श्ल्क उपचार की निगरानी	दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न
जारी की गई थी। उसके बाद एलएंडडीओ ने आबंटी से पूर्ण	के संबंध में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय,	नहीं किया। स्वास्थ्य सेवा

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
बकाया राशि की माँग नहीं की, हालांकि उसने अगस्त 2018 में लेखापरीक्षा को आश्वासन दिया था कि आबंटी के खिलाफ लंबित बकाया की गणना संशोधित दर पर की जाएगी। 4. एलएंडडीओ ने (जुलाई 2016) दुरुपयोग/ क्षति (शास्ति के अतिरिक्त) के कारण ₹9.74 करोड़ के बकाया की गणना की लेकिन पट्टेदार को इसकी सूचना नहीं दी।	समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार ने अपने पत्र दिनांक 17.01.2019 के माध्यम से सूचित किया कि अस्पताल ईडब्ल्यूएस को मुफ्त इलाज की शर्तों का उल्लंघन नहीं	राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त ईडब्ल्यूएस श्रेणी के नि:शुल्क उपचार के संबंध में प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को नहीं उपलब्ध कराए
 5. अगस्त 2011 के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। अन्य मामले 6. पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए गये थे। 7. एलएंडडीओं के पास संशोधित स्वीकृत भवन योजना की प्रति नहीं थी। 	कर रहा था। मामले की पुनः जाँच की गई और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अस्पताल को जारी किए गए पुनः प्रवेश के आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, दिनांक 07.12.2020 को अस्पताल को पुनः प्रवेश आदेश वापस लेन के लिए	अस्पताल की कार्यकारी समिति में सरकार के नामित व्यक्ति के नामांकन के प्रावधान निर्धारित किए गए थे,
8. आबंटन की शर्तों के अनुसार ईडब्ल्यूएस मरीजों/ रोगियों को 70 प्रतिशत नि:शुल्क बिस्तर उपलब्ध नहीं कराने तथा बड़ी संख्या में दुरुपयोग/ अनाधिकृत निर्माणों को देखते हुए भूमि का आबंटन मई 2004 में रद्द कर दिया गया था। 9. हालांकि, अध्यक्ष विमहंस के एक अध्यादेश के आधार पर भूमि के आबंटन को रद्द करने के निर्णय को स्वास्थ्य	अद्यतन सरकारी बकाया राशि सहित शर्ते जारी की गईं थी। जहाँ तक सरकारी नामितों के नामांकन का संबंध है, यह उल्लेख किया गया है कि उपलब्ध अभिलेखों में यह भी बताया गया है कि 2003 तक किसी भी	चाहिए था। यद्दपि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने सूचित किया था (जनवरी 2019) कि अस्पताल ईडब्ल्यूएस को

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
मुफ्त उपचार प्रदान करने के मुद्दे पर विचार प्राप्त होने तक रोक दिया गया था। 10. एलएंडडीओ में कोई तंत्र या इसका कार्यान्वयन नहीं औ पाया गया जो यह इशारा करे कि ईडब्ल्यूएस रोगियों/ मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की शर्त का पालन हो रहा था। 11. एलएंडडीओ ने भूमि प्रबंधन/ उपयोग के संबंध में सरकारी हित की देखभाल के लिए और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि समझौता ज्ञापन के अनुसार यह निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, अस्पताल की कार्यकारी समिति में सरकार के दो नामितों को शामिल करने की शर्त को लागू नहीं किया। 12. ई-भूमि में संपत्ति के दो आईडी थे जो दोनों ही अध्रे थे। बकाया राशि 13. भूमि किराया, भूमि किराए पर ब्याज और साँति/दुरुपयोग के लिए ₹12.34 करोड़ की राशि बकाया थी।	सरकारी नामिती को नामांकित क्यों नहीं केया गया था। इस मामले की पहली गर 2003-04 में जाँच की गई थी। और तब से संपत्ति पुनः प्रवेश की स्थिति में थी। संपत्ति आईडी में वेसंगतियों को ठीक कर दिया गया है। लएंडडीओ ने आगे उत्तर दिया (अप्रैल 2021) कि अस्पताल की आबंटित भूमि को दिनांक 28.05.2004 को पहेदार को पूमि कब्जा सौपने के निर्देश के साथ 8.05.2004 को रद्द कर दिया गया गा। तथापि तत्कालीन सचिव (नगरीय वेकास) दिनांक 24.05.2004 के निर्णय के अनुसार इसे स्थिगत रखा गया था। सस्पताल को पुनःप्रवेश वापसी के लिए गँग पत्र दिनांक 07.12.2020 को जारी केया गया था। लेकिन उनका भुगतान नाज तक नहीं किया गया है।	उल्लंघन नहीं कर रहा था, एलएंडडीओ द्वारा बकाया राशि के लिए मांग पत्र

10 सेंट स्टीफेंस अस्पताल, तीस हजारी

श्रेणी	अस्पताल
संपत्ति आई.डी.	21482
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
भूखंड का आकार	(i) 5,544.19 वर्ग मीटर (1.37 एकड़),
	(ii) 1,942.49 वर्ग मीटर (0.48 एकड़),
	(iii) 5,256.87 वर्ग मीटर (1.299 एकड़)
आबंटन की तिथि	(i) जून 1970, (ii) फरवरी 1972,
	(iii) जनवरी 1976
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रतिवर्ष)	(i) ₹342.50, (ii) ₹120, (iii) ₹325

लेखा परीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया का संशोधन क्रमशः 01.01.2000, फरवरी 2002 और जनवरी 2006 से दर के चार गुणकों में देय था और उसके बाद प्रत्येक क्रमिक अविध के अंत में जो कि 30 वर्ष से कम नहीं होगी। 15.12.2003 से ₹1,370 प्रतिवर्ष की दर से 1.37 एकड़ प्लॉट के संबंध में भूमि किराया बढ़ाया गया था। 2. 1942.49 वर्ग मीटर और 5286.87 वर्ग मीटर माप वाले भूखण्डों के संबंध में भूमि किराये को संशोधित नहीं किया गया था।	(दिसम्बर 2020) कि जुलाई 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वह ईडब्लयूएस रोगियों को 25 प्रतिशत ओ.पी.डी. एवं 10 प्रतिशत	यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर पट्टेदार के खिलाफ कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं थी। इसके अलावा, ईडब्लयूएस श्रेणी के मरीजों को मुफ्त इलाज देने के मुद्दे पर एलएडंडीओ मौन

लेखा परीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
3. 1.37 एकड़ के भूखण्ड के संबंध में अगस्त 2010 में ₹6,850 और अगस्त 2012 के केवल ₹5,922 का भुगतान किया गया एवं ई-धरती पर दिखाया गया था। तीनों भूखंडों के लिए भूमि किराया दिसम्बर 2012 तक अस्पताल द्वारा चुकाया गया था। निरीक्षण 4. आबंटन (1970) से 49 साल बीत जाने के बाद भी, सिर्फ पाँच निरीक्षण किए गए। जनवरी 2008 के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया। उल्लंघन एवं दुरुपयोग/ पुनः कब्जा 5. सेंट स्टीफेंस अस्पताल के निरीक्षण के दौरान दुरुपयोग एवं अनिधकृत निर्माण से जुड़े कई उल्लंघन सामने आए। हालाँकि न तो उल्लंघनों को सुधारा गया और न ही मांग पत्र जारी किया गया। सम्पत्ति पर पुनः	की नीति का कड़ाई से पालन करे। यह मामला 2018 तक अभियोग के अधीन था। इसके बाद, 15.10.2020 को सम्पत्ति का निरीक्षण किया गया और तदनुसार, अस्पताल को उल्लंघन नोटिस जारी किया गया। अस्पताल के जवाब का इंतजार है। एलएडंडीओ ने आगे जवाब	हैं। एलएडंडीओ ने अक्टूबर 2020 में अर्थात कोर्ट के आदेश के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद और वह भी लेखापरिक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद परिसर का निरीक्षण किया। हालाँकि, पट्टेदार को कोई मांग पत्र जारी नहीं
	दिया (अप्रैल 2021) की	किया गया।
अन्य मुद्दे 6. अस्पताल ने ईडब्लयूएस मरीजों को मुफ्त इलाज देने की शर्त का पालन	2018 तक इस मामले में अभियोग चल रहा था। अस्पताल के जवाब का	
नहीं किया। 7. सेंट स्टीफन अस्पताल ने समापन योजना को जमा नहीं किया।	इंतजार हैं। उन्हें जारी उल्लंघन नोटिस पर	
8. ई-धरती में आकड़े अधूरे थे और भुगतान का ब्यौरा नहीं दिया।	अस्पताल का जवाब मिलने के बाद सरकारी बकाया की	

लेखा परीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणियां	पुन:
बकाया देय 9. भूमि किराया एवं भूमि किराये पर ब्याज के लिए ₹0.23 लाख की राशि बकाया थी। क्षति/ दुरुपयोग प्रभारों के कारण अन्य बकाया राशि को नहीं निकाला जा सका।	गणना यथासमय की जाएगी। यदि अस्पताल माँगी गई राशि जमा करने में असफल रहता है, तो पट्टे के समझौते के निबंधन व शर्तों के अनुसार आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।		

11. एफ-2, कनॉट प्लेस

वर्ग	व्यापार परिसर
सम्पत्ति आई.डी.	35711
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
भूखंड का आकार	1,132.67 वर्ग मीटर (12,192.02 वर्ग फुट)
आबंटन की तिथि	28 मार्च 1925
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रतिवर्ष)	₹330

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएडंडीओ ने अपने	यह उत्तर मान्य नहीं है
1.भूमि किराया में संशोधन जनवरी 1947, जनवरी 1977 और जनवरी	उत्तर मे कहा (दिसम्बर	क्योंकि इस मामले पर
2007 मे होना था, हालांकि भूमि किराया में संशोधन नहीं किया गया।	2020) कि निरिक्षण	2005 से कोइ कार्रवाई
2007 में होनी था, होलाकि मूमि किरीया में संशोधन नहीं किया गया। 	करने की लिए फाईल	नहीं की गई है और 2005
2. ₹330 प्रति वर्ष की दर पर भूमि किराया का भुगतान जनवरी 1981 के	तकनीकि अनुभाग को	के बाद से कोई निरीक्षण
बाद नहीं किया गया और जनवरी 1981 से मार्च 2019 तक भूमि किराए के	भेज दी गई हैं और उसके	नहीं किया गया है। केवल
कारण ₹12,609 और ब्याज के कारण ₹24,402 देय था।	बाद संशोधित भूमि	फाइल को तकनीकी
3. जनवरी 1984 से मार्च 2019 तक ₹22.27 लाख का अतिरिक्त भूमि	किराया, अतिरिक्त भूमि	अनुभाग में भेजना पर्याप्त
	किराया आदि के लिए	नहीं है क्योंकि पहले भी
किराया (अतिरिक्त निर्माण हेतु) और उस पर ₹40.34 लाख के ब्याज का भगतान नहीं किया गया और इसका संशोधन जनवरी 2014 अर्थात जनवरी	मांग को अद्यतन किया	फाइल तकनीकि अनुभाग
नुगतान नहा क्या गया जार इसका सराायन जनपरा 2014 जयात जनपरा	जाएगा।	में भेजी गई थी (जून

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
1984 के 30 वर्ष बाद होना था, हालाँकि, इसका संशोधन नहीं किया गया।	एलएडंडीओ ने आगे कहा (अप्रैल 2021) कि पट्टेदार से सरकारी बकाया की	, , ,
4. ₹45.74 लाख की अतिरिक्त अधिमूल्य (₹9.49 लाख का शेष अधिमूल्य + 8 जनवरी 1981 से 31 मार्च 2019 तक दस <i>प्रतिशत</i> प्रति वर्ष का ब्याज अर्थात ₹36.25 लाख) का भुगतान नहीं किया गया।	विभिन्न अनुभागों के	कारवाई नहीं की गई और बिना किसी कारण पुनः
निरीक्षण 5. अप्रैल 2005 के बाद निरीक्षण नहीं किया गया।	परामशे से अतिम रूप दिया जाएगा। तत्काल मामले में, अतिरिक्त/	
अन्य मुद्दे	संशोधित भूमि किराये को अंतिम रुप देने से पहले	इसके अलावा, लेखा परीक्षा द्वारा बताए गए अन्य मुद्दों अर्थात एलएडंडीओ की
6. परिसर में समय-समय पर अनाधिकृत निर्माण और दुरुपयोग से संबंधित उल्लंघन देखा गया है। इन उल्लंघनों को नियमित नहीं किया गया और आजतक कोई वसूली नहीं की गई। पट्टेदार के अनुरोध के बावजूद उल्लंघनों	आवश्यक है जिसके लिए	अनुमति के बिना भूमि की बिक्री, बड़े उल्लघंनों को
के कारण कोई मांग जारी नहीं की गई। मामले को पुनः कब्जा करने के लिए संसाधित किया गया था, लेकिन इसे बिना किसी कारण के छोड़ दिया गया।	निर्माण योजना का अनुरोध किया गया है। हालाँकि, अभी इसका	हटाने की कार्रवाई और अतिरिक्त अधिमूल्य की वसूली आदि के सम्बंध मे
7. मार्च 1925 में स्थायी पट्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे, हालाँकि, जुलाई 1962 (मार्च 1930 में संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित रिकॉर्ड को छोड़कर)	इंतजार है। इसकी प्राप्ति के परिणामस्वरुप, सभी बकाया राशि का अद्यतन	कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
से पहले संबंधित फाइलों में कोई पत्राचार नहीं पाया गया था। इसके अलावा,	किया जाएगा।	
उल्लघंनों/ दुरुपयोग और बकाया राशि के होने के बावजूद अप्रैल 2005 के		
बाद फाइल में कोई कार्रवाई नहीं की गई।		
8.पट्टेदार की अनुमति के बिना आंशिक सम्पत्ति की बिक्री की।		
9. ई-धरती के आंकड़ों से यह देखा गया कि सम्पत्ति के प्रपत्र के अधिकांश		
कॉलम खाली रह गए थे जिसने अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के उद्देश्य को		
विफल किया।		
बकाया देय		
10. भूमि किराया, भूमि किराये पर ब्याज और क्षति/ दुरुपयोग प्रभारों के		
प्रति ₹1.17 करोड़ की राशि बकाया थी।		

12. अलंकार सिनेमा, लाजपत नगर

वर्ग	सिनेमा हॉल
संपत्ति आई.डी.	21520
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
भूखंड का आकार	4,217.70 वर्ग मीटर (5,044.333 वर्ग गज)
आबंटन की तिथि	नवम्बर 1954
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रतिवर्ष)	₹51

1 march are not follow the same follows at the same follows at the same follows are follows.	गएडंडीओ ने उत्तर दिया	पुन: टिप्पणियां
किया गया था (मई 1961), जो आवासीय उद्देश्य के लिए था। 2. मई 1980 में सिनेमा/ सिनेमाघरों मे वाणिज्यिक के रूप में उपयोगकर्ता खंड परिसक्त को सही करते हुए अनुपूरक विलेख निष्पादित किया गया था। भूमि किराया 3. मार्च 1987 से भूमि किराया ₹2.02 लाख तय किया गया था (सिनेमा से सिनेमा सह वाणिज्यिक के लिए भूमि और परिसर के उपयोगकर्ता का संपरिवर्तन)। 4. अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक की अविध के दौरान भूमि किराया की प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। 5. जंगे कि वर्ष किया कर किया कर की अविध के दौरान भूमि किराया की प्राप्ति किया 23.1	सम्बर 2020) कि अप्रैल 105 और अगस्त 2007 में रेसर का निरीक्षण किया गया और तदनुसार, उल्लंघन टिस भी जारी किया गया । सम्पत्ति का हाल ही में 1.09.2020 को निरीक्षण त्या गया था और 1.11.2020 को उल्लंघन टिस जारी किया गया था।	स्वीकार्य नहीं है चूंकि एलएडंडीओ ने सरकारी बकाया की उगाही या सम्पत्ति पर पुनः कब्जा करने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
12. इस तथ्य के बावजूद कि पट्टेदार से बकाया शेष राशि की वस्ली की जानी थी और वहां दुरुपयोग एवं अनिधिकृत निर्माण था, एलएडंडीओ ने न तो पट्टेदार के साथ कोई पत्राचार किया, न ही अक्टूबर 2007 के बाद सरकारी बकाया की उगाही या सम्पित्त में कब्जा करने के लिए कोई कार्रवाई की। अक्टूबर 2007 में पट्टेदार को पुनः कब्जा की शिक्तयों का उपयोग करने से पहले उल्लंघनों का सुधार करने के लिए एक नोटिस दिया गया था, उसके बाद फाईल में कुछ भी नहीं है। 13. एलएडंडीओ के सर्वेक्षक ने जुलाई 2001 में लाजपत नगर का दौरा किया था और उन्हें इस बात का पता चला था कि अलंकार सिनेमा की इमारत ध्वस्त कर		नहीं की गई है। इसके अलावा, एलएडंडीओ ने अनधिकृत निवासियों से सम्पत्ति को खाली कराने की कोई भी कार्रवाई नहीं की।
दी गई और नई इमारत का निर्माण किया जा रहा था। 14. एलएडंडीओ की सूचना के बिना, पट्टेदार न परिसर को ध्वस्त किया और एक नई इमारत का निर्माण किया। एलएडंडीओ को इस बात की जानकारी थी कि एक नई इमारत का निर्माण किया जा रहा है लेकिन एलएडंडीओ ने न तो पट्टेदार को नई इमारत का निर्माण करने से रोका और न ही सम्पत्ति पर पुनः कब्जा करने की कार्रवाई की। परिशिष्ट XI पर पट्टा विलेख के हस्ताक्षर करने के कारण पट्टेदार से अनर्जित वृद्धि की वसूली नहीं की जा सकी। 15. कॉम्पीटेंट फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूचित किए जाने के बाद भी कि सम्पत्ति उन्होंने खरीद ली थी, एलएडंडीओ ने सम्पत्ति के वर्तमान अधिभोगी के बारे मे पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की और नाहर थियेटर (मूल पट्टेदार) को नोटिस देना जारी रखा।		

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
16. नाहर थियटर ने श्री गुरमीत सिंह को 921 वर्ग फुट की एक दुकान बेची (जनवरी 2001), जिसने इसे अप्रैल 2007 में बिक्री के एक करार के द्वारा श्री राज चोपड़ा (कॉम्पीटेट फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड) को बेच दिया था। बिक्री को ₹1.30 करोड़ के मूल्य पर उप-पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत किया गया था। इस बिक्री पर एलएडंडीओ द्वारा अनर्जित वृद्धि को वसूल किया जाना था।		
17. पट्टा विलेख के अनुसार, पट्टेदार पहली बिक्री के बाद की बिक्री के मामले में अनर्जित वृद्धि का दावा करने और वस्लने का हकदार है और पट्टेदार को भूमि किराए में संशोधन करने का भी अधिकार है। हालाँकि, एलएडंडीओ को बिना सूचित किए सम्पित के पट्टा अधिकारों की बिक्री के कारण अनर्जित वृद्धि का दावा या भूमि किराए में संशोधन नहीं कर सका।		
18. ई-धरती मे सम्पत्ति प्रपत्र के कॉलम या तो खाली छोड़ दिए गए या अद्यतन नहीं किया गया।		
बकाया देय		
19. भूमि किराया, भूमि किराये पर ब्याज और क्षति/ दुरुपयोग प्रभारो के प्रति ₹2.66 करोड़ की राशि बकाया थी।		

13. 17, जोर बाग

वर्ग	अन्य नज़ूल सम्पत्तियां
संपत्ति आई.डी.	33682
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
भूखंड का आकार	1,073.00 वर्ग मीटर (1,283.3 वर्ग गज)
आबंटन की तिथि	दिसम्बर 1954
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रतिवर्ष)	₹705

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया 1. भूमि किराया का संशोधन 01.01.1982 से और उसके बाद कम से कम 30 वर्षी के प्रत्येक क्रमिक अविध की समाप्ति पर, ₹5,680 प्रति वर्ष की दर पर प्रभावी होना देय था, हालांकि रिकॉर्ड से यह पता नहीं लगाया जा सका कि किस अविध तक किराए का भुगतान नहीं किया गया था। 2. भूमि किराया का संशोधन, यद्यपि 01.01.1982 से प्रभावी होना देय था, को सितम्बर 2008 में पट्टेदार को सूचित किया गया था। अन्य देय 3. पट्टेदार द्वारा अनार्जित वृद्धि का भुगतान करना भी अपेक्षित था, तथापि, उसे भी नहीं उठाया गया था।	जवाब दिया (दिसम्बर 2020) कि नीति के अनुसार अपेक्षित	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
निरीक्षण 4. स्थायी पट्टे को दिसम्बर 1954 में कार्यान्वित किया गया था, और पहला निरीक्षण अक्टूबर 2003, अर्थात पट्टा कार्यान्वयन के 49 वर्ष समाप्त होने के बाद में, किया गया। अन्तिम निरीक्षण दिसम्बर 2017 में किया गया था और दिसम्बर 2017 में पट्टेदार को उल्लंघन नोटिस जारी किया गया था। हालांकि सरकारी बकायों की मांग को नहीं उठाया गया था। 5. न तो कोई मांग-पत्र जारी किया गया और न ही संपत्ति के पुनः प्रवेश के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। 6. परिसरों का संयुक्त निरीक्षण जनवरी 2020 में लेखापरीक्षा के साथ एलएडंडीओ के कर्मचारियों द्वारा किया गया था। पिछले कुछ अनाधिकृत निर्माण जैसा कि एलएडंडीओ की दिनांक 12.11.2017 की निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया था, अभी भी मौजूद है। अन्य निष्कर्ष 7. एलएडंडीओ ने महारानी दुर्गेश्वरी साही द्वारा उनके पोते श्री के.पी. साही को उपहार विलेख के अनुसार दिए गए पट्टे के अधिकार को हस्तांतरित करने के अनुरोध (फरवरी 2002) पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में, संपत्ति को श्री के.पी.साही से	लाल कात्याल के नाम है। संपत्ति वर्तमान में श्री	शुरू करने के बजाय, एलएंडडीओ परिसर के तथाकथित कब्जाधारी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा
श्रीमती सुमन कपूर द्वारा पट्टे पर लिया गया (अगस्त 2002) था। श्रीमती सुमन कपूरको दिया गया। श्रीमती सुमन कपूर ने आवसीय से गैर घरेलु में परिवर्तित करने	फलरूवरूप, पहेदार	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का	लेखापरीक्षा की पुन:
	उत्तर	टिप्पणियां
का अनुरोध (जून 2003) किया क्योंकि संपत्ति का उपयोग उसके द्वारा निवास-सह शिशु गृह के रूप में किया जा रहा था। 8. एलएडंडीओ को संपत्ति के उपयोग को आवासीय से गैर-घरेलू में परिवर्तित होने की जानकारी नहीं थी क्योंकि संपत्ति का उपयोग निवास-सह-शिशु गृह के रूप में किया जा रहा था। संपत्ति एलएडंडीओ के रिकॉर्ड में अभी भी महारानी दुर्गेश्वरी साही के नाम थी।	के वास्तविक कानूनी उत्तराधिकारी की मांगों को उठाया जा जाएगा।	
9. ई-धरती में डाटा अपूर्ण थे और यह भुगतान के विवरणों को नहीं दर्शाता है।		
10. भूमि किराया, भूमि किराया पर ब्याज और क्षति/ दुरुपयोग प्रभारों के रूप में ₹1.47 करोड़ की राशि बकाया थी।		

14. सेन नर्सिंग होम

वर्ग	अन्य नज़्ल सम्पत्तियाँ
संपत्ति आई.डी.	33981
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
भूखंड का आकार	5,058.68 वर्ग मीटर (1.25 एकड़)
आबंटन की तिथि	19 जुलाई 1952
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रति वर्ष)	₹4,687.50

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर	एलएंडडीओ ने कारण
1. पद्टा विलेख प्रावधानों की शर्तों के अनुसार भूमि किराये के भुगतान एवं	दिया (दिसम्बर 2020)	बताओ नोटिस की प्रति
संशोधन का पूर्ण ब्योरा लेखापरीक्षा को दिये गये दस्तावेजों में नहीं था।	कि मामले की हाल ही में	उपलब्ध नहीं कराई।
ू निरीक्षण	विस्तार से जाँच की गई	एलएंडडीओ ने सरकारी
2. अनुमोदित भवन कार्ययोजना के बिना निरीक्षण किये गये।		देय राशि की वसूली के
j	कि परिक्षेत्र विभिन्न	लिये उठाये गये कदमों को
3. फरवरी 2013 के उपरान्त कोई निरीक्षण नहीं किया गया।	अनधिकृत प्रवेशदारों/	भी वर्णित नहीं किया।
अन्य मामले	अतिक्रमणकारियों के	
4. एलएंडडीओ की जानकारी के बगैर प्रारम्भिक पट्टेदार के बाद सम्पत्ति	कब्जे में था। इस प्रकार,	
कई बार बदली गई। मूल पट्टाधारक ने पट्टा अधिकार का हस्तांतरण (जून	एलएंडडीओ के अनुमोदन	
1974) अंसल सहगल प्रोपर्टिज लिमिटेड को किया, जिसने पट्टा स्थान पर फलैट	से यह निश्चित किया	
बनाये एवं फ्लैटों को लोगो को बेच दिया। यद्यपि एलएंडडीओ की जानकारी में	गया कि आबंटन को	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
यह जनवरी 2010 में आया, हालाँकि, एलएंडडीओ ने कोई कार्रवाई नहीं प्रारम्भ की। उप-पंजीयक के कार्यालय से लेखापरीक्षा तीन फ्लैट खरीददारों की जानकारी प्राप्त कर सका जिसमें यह देखा गया कि दो फ्लैट को खरीददारों ने किराये पर दे रखा था एवं एक फ्लैट की बिक्री का अनुबन्ध सितम्बर 2011 में किया गया था। इस फ्लैट को ₹1.21 करोड़ की राशि पर पंजीकृत किया गया। अनर्जित वृध्दि भी एलएंडडीओ द्वारा इस बिक्री के लिये वस्ली योग्य थी। 5. पट्टेदार का उल्लंघन नोटिस मार्च 2012 में जारी किया गया एवं हंस भवन फ्लैट मालिक संघ द्वारा 28.06.2012 को उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि 10.02.2010 के पश्चात भवन का रखरखाव हंस भवन के फ्लैट मालिक संघ को सौंप दिया गया। 6. मार्च 2012 एवं मार्च 2013 के समय के मध्य उल्लंघन नोटिस के जारी करने के उपरान्त भी पट्टेदार को कोई मांग पत्र नहीं जारी किया गया। 7. यद्यपि उल्लंघनों एवं बकाया देयो के मामले थे, फाइल में दिसम्बर 2013 के उपरान्त कुछ अंकित नहीं था। 8. पट्टा विलेख के खण्ड 2(18) के अतिक्रमण में एलएंडडीओ द्वारा अनर्जित वृध्दि की वस्ली के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया। 9. एलएंडडीओ द्वारा पुनः प्रवेश के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।	तदनुसार, एक कारण बताओ नोटिस 09.12.2020 को जारी किया गया। एलएंडडीओ ने दोहराया (अप्रैल 2021) कि 09.12.2020 तिथि को कारण बताओ	

15. 29, औरंगजेब मार्ग

श्रेणी	अन्य नज़्ल सम्पत्तियाँ
संपत्ति आई.डी.	24686
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
भूखंड का आकार	9,886.47 वर्ग मीटर (2.443 एकड़)
आबंटन की तिथि	सितम्बर 1930
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रति वर्ष)	₹410

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	3
		टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया	एलएंडडीओ ने जुलाई
 भूमि किराये का संशोधन जनवरी 1957, जनवरी 1987 एवं जनवरी 2017 में नियत था, परन्तु कभी संशोधित नहीं किया गया। जुलाई 1977 के पश्चात भूमि किराया नहीं दिया गया। एलएंडडीओ 	(दिसम्बर 2020) कि इस मामले के अद्यतन प्रभार को निश्चित करने एवं निरीक्षण	किराये के भुगतान के लिये कोई मांगपत्र जारी नहीं
ने जुलाई 1977 के पश्चात भूमि किराये के लिये मांग पत्र नहीं जारी किया।	करने के लिये तकनीकि विभाग को भेजा गया हैं।	से लगातार उल्लंघन/
निरीक्षण 3. जून 1990, दिसम्बर 1994 एवं दिसम्बर 2017 में परिसम्पत्ति का निरीक्षण किया गया एवं मार्च 2018 में उल्लंघन नोटिस जारी किया गया। 4. यद्यपि जून 1990 से लगातार उल्लंघन/ दुरुपयोग था, एलएंडडीओ द्वारा कोई मांग पत्र नहीं उठाया गया।	अतः पट्टेदार को मांग पत्र जारी किया जायगा, यदि पट्टेदार इसको जमा कराने में असफल रहता है, तो पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार	दुरुपयोग था, एलएंडडीओ द्वारा माँग पत्र न जारी करने के कारण पट्टेदार द्वारा दुरुपयोग/ क्षति शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
अन्य मुद्दे	दण्डात्मक कार्रवाई की	एलएंडडीओ ने तीस वर्ष के
5. ई-धरती में अधिकतर आंकड़े भरे नहीं थे।	जायगी।	पश्चात यह किया है कि
6. निरीक्षण के दौरान पाये गये उल्लंघनों के बावजूद एलएंडडीओ ने	एलएंडडीओ ने आगे बताया	उन्होंने इस मामले को
उल्लंघन को हटाने या परिसम्पत्ति पर पुनः प्रवेश के लिये प्रभावी कदम		तकनीकि अनुभाग को भेजा
नहीं उठाये गये।	नोटिस जारी करने के पश्चात	है।
बकाया देय राशि	सरकारी देय की वसूली पर	मांग पत्र जारी किये बिना
7. भूमि किराया एवं भूमि किराये पर ब्याज के लिये ₹33.80 लाख का	विचार किया जायेगा।	बार-बार परिसम्पत्ति के
बकाया था। क्षति/ दुरुपयोग राशि का आकलन नहीं किया जा सका।		निरीक्षण ने निरीक्षण के
grand and an arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second and arrangement of the second arrangement of the		उद्देश्य को परास्त कर दिया,
		क्योंकि न ही उल्लंघन को
		सही किया जा सका और न
		ही उल्लंघन के कारण देय
		राशि की वसूली की जा
		सकी।

16. 3, कौटिल्य मार्ग

वर्ग	अन्य नज़्ल सम्पत्तियाँ
संपत्ति आई.डी.	22509
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
भूखंड का आकार	1,132.62 वर्ग मीटर (1,354.60 वर्ग गज)
आबंटन की तिथि	14 अक्टूबर 1957
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रति वर्ष)	₹415

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
अन्य मुद्दे 1. हस्तांतरण विलेख की शर्तों के अनुसार, परिसम्पत्ति को पट्टा शर्तों/ मास्टर कार्ययोजना का कठोरता से अनुपालन करते हुए उपयोग किया जाना चाहिए एवं सरकारी भूमि के किसी प्रकार के अतिक्रमण एवं परिसम्पत्ति के पट्टे शर्तों में अनुबंध के अतिरिक्त उपयोग की स्थिति में, हस्तांतरण विलेख को बिना किसी सूचना के प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा ने हाँलािक पाया कि परिसम्पत्ति के वर्तमान स्थिति के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये एलएंडडीओ ने पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति में हस्तांतरण के पश्चात कोई नियंत्रण प्रयोग नहीं किया।	कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र ही की जा रही थी। एलएंडडीओ ने आगे	मई 2017 में भूमि मूल्यों के पिरशोधन के लगभग चार वर्षों के पश्चात एलएंडडीओ ने पट्टेदार को मांगपत्र जारी किया, जिसकी प्रति लेखापरीक्षा को नहीं प्रदान की गई।
	01.04.2021 को जारी	

2. शेष हस्तांतरण फीस जोकि पूर्व प्रभाव से भूमि दरो के परिशोधन	किया गया है।	
(01.04.2000 से प्रभावी) से देय हुए, के कारण देय राशि के दावे के लिये आकलन		
एवं मांग उठाने के लिये एलएंडडीओं ने कोई कदम नहीं उठाये।		
बकाया देय		
3. सम्पत्ति के पूर्ण स्वासमित्व में हस्तांतरण के पश्चात प्रभारों में परिशोधन		
न करने के कारण ₹10.52 लाख की राशि की वसूली नहीं की गई।		
4. एलएंडडीओ ने जून 2020 में जारी लेखापरीक्षा टिप्पणी का न ही उत्तर		
दिया और न ही उसमें मांगी गई कोई जानकारी प्रदान की।		

17. गैराज, भूखंड नं. 7, ब्लाक-91, गोल मार्केट

•	
वर्ग	अन्य नज़्ल सम्पत्तियाँ
संपत्ति आई.डी.	33338
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
भूखंड का आकार	24.30 वर्ग मीटर (261.63) वर्ग फीट)
आबंटन की तिथि	सितम्बर 1941
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रति वर्ष)	₹31

लेखा परीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का	लेखापरीक्षा की पुन:
	उत्तर	टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने	एलएंडडीओ का उत्तर मान्य
1. जनवरी 1940 से जुलाई 1964 (24 वर्षों से अधिक) के समय के बीच भूमि	बताया (दिसम्बर	नहीं है, क्योंकि अब तक
किराये की वसूली ₹31 प्रति वर्ष की दर से नहीं की गई।	2020) कि निरीक्षण	भूमि किराये में परिशोधन/
2. जुलाई 2001 से मार्च 2019 के बीच ₹124 प्रति वर्ष की दर से भूमि किराया एवं	करने के लिये फाइल	वसूली एवं अतिरिक्त भूमि
₹129.85 प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त भूमि किराया भी पहेदार से वसूल नहीं किया	तकनीकि अनुभाग में	किराये के मांगपत्र पर कोई
गया।	भेजी गई है एवं	कदम नहीं उठाया गया।
3. भूमि किराये का परिशोधन 01.01.1969 को नियत था और उसके पश्चात	उसके पश्चात	केवल तकनीकि अनुभाग को
01.01.1999 को, परन्त् इसको 32 से अधिक वर्षों के अन्तराल के पश्चात	परिशोधित भूमि	फाइल भेजना पर्याप्त नहीं
(परिशोधन की नियत तिथि से) ₹31 से ₹124, जो कि पूर्व भूमि किराये का 4 ग्ना	किराया इत्यादि की	हैं। एलएंडडीओ द्वारा एक
था, मई 2001 में एलएंडडीओ द्वारा परिशोधित किया गया, जोकि अनियमित था	मांगपत्र को	निश्चयात्मक कदम उठाना
क्योंकि कार्य एवं आवास मंत्रालय के दिनांक 24.12.1983 के आदेशानुसार यदि भूमि	अद्यनिकृत किया	चाहिये। आगे, एलएंडडीओ

किराया परिशोधन नियत होने से 31 से 40 वर्षों तक नहीं परिशोधित हुआ तो भूमि किराये को विद्यमान किराये से 10 गुना अधिक बढ़ाना था। अतः भूमि किराये को ₹310 प्रति वर्ष से लेना चाहिये।

निरीक्षण

- 4. परिसम्पत्ति को 1941 में आबंटित किया गया और पहला निरीक्षण अप्रैल 1971 में किया गया, अर्थात् स्थायी पट्टे के होने के 30 वर्षों के पश्चात। अक्टूबर 1998 के निरीक्षण होने के पश्चात् मई 2018 में एक और निरीक्षण किया गया एवं जून 2018 में उल्लंघन नोटिस जारी किया गया।
- 5. पिछला निरीक्षण नवम्बर 2018 में किया गया एवं निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों को हटा दिया गया।

अन्य मुद्दे

6. एलएंडडीओ की जानकारी के बगैर परिसम्पित्त अपने प्रारम्भिक पट्टेदार को पट्टा देने के पश्चात कई हाथों में गई। हाँलािक इसकी जानकारी में आने के पश्चात एलएंडडीओ द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बकाया राशि

7. ₹0.18 लाख की राशि भूमि किराये एवं भूमि किराये पर ब्याज के तौर पर बकाया थी।

जायगा। ने आगे एलएंडडीओ (अप्रैल बताया 2021) कि प्रत्येक सम्पत्ति के उन्होंने पहले से ही अद्यनिकृत दस्तावेजों/ मांगपत्र के लिए एक मुहिम प्रारम्भ कर दी है। दस्तावेजों अदयनिकरण ਧਰ अदयनिकृत मांग के लिये परिसम्पत्ति का निरीक्षण अति आवश्यक तकनीकि खण्ड परामर्श इस मामले की जांच की जा रही है।

की अनुमित के बगैर भूमि की बिक्री/ हस्तांतरण संबंधी कोई कदम नहीं उठाया गया है।

18. भूखंड नं. 12, ब्लाक 10, गोल्फ लिंक्स

वर्ग	पूर्ण स्वामित्व सम्पत्तियाँ
संपत्ति आई.डी.	22003
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
भूखंड का आकार	1,517.24 वर्ग मीटर (1,814.6 वर्ग गज)
आबंटन की तिथि	अ प्रैल 1966
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रति वर्ष)	₹927.50

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर	मई 2017 में भूमि दरों के
1. जनवरी 1983 से भूमि किराये का संशोधन नियत था। हाँलाकि अक्टूबर	दिया (दिसम्बर 2020)	संशोधन से लगभग चार वर्ष
2004 में इसका संशोधन ह्आ।	कि मांगपत्र बनने की	बीत चुके है, किन्तु
निरीक्षण	प्रक्रिया में है एवं शीघ्र	एलएंडडीओ अभी भी मांगपत्र
	ही पट्टेदार को जारी	जारी करने की प्रक्रिया में हैं,
2. पिछला निरीक्षण फरवरी 2016 में किया गया, मार्च 2016 में उल्लंघन	किया जायगा।	जो यह प्रदर्शित करता है कि
नोटिस जारी किया गया एवं अप्रैल 2016 में मांग पत्र जारी किया गया।	एलएंडडीओ ने आगे	एलएंडडीओ ने सरकारी देयों
अन्य देय	बताया (अप्रैल 2021)	की वसूली के लिए आवश्यक
3. मई 2016 में परिसम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तन अनुमोदित	कि उन्होंने प्रत्येक	
किया गया। पट्टेदार के द्वारा एक वचनपत्र दिया गया कि यदि 01.04.2000 से	सम्पत्ति के अद्यतन	
प्रभावी भूमि दरें परिशोधित होती है तो वह दुरुपयोग, नुकसान एवं संपरिवर्तन	दस्तावेज/ मांगपत्र, पूर्ण	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
प्रभार के अन्तर का भुगतान करेगा। हाँलािक इस प्रकार की देय राशि एलएंडडीओ द्वारा भूमि मूल्य में 2017 में संशोधन के बावजूद भी नहीं मांगी गई। अन्य आपित्तयां 4. पट्टेदार ने एक वचनपत्र दिया कि परिसम्पत्ति को पट्टाशतांं/ मास्टर कार्य योजना के अनुसार उपयोग में लाया जायगा एवं पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तन होने के पश्चात भी किसी अन्य उपयोग या गैर-अनुरुपता उपयोग में नहीं लाया जाएगा। एलएंडडीओ द्वारा परिसम्पत्ति के वर्तमान उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये इस प्रकार के किसी नियंत्रण को लागू नहीं किया गया। 5. आबंटी को पंजीकृत हस्तांतरण विलेख की सत्यापित प्रति इसके प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर एलएंडडीओ को जमा करना आवश्यक था। फिर भी, आबंटी के द्वारा ऐसी कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी। बकाया देय 6. संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तन के बाद प्रभारों का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण अन्य देयताओं के रुप में ₹42.29 लाख की वस्ली नहीं की गई थी।		

19. 19, पृथ्वीराज रोड़

वर्ग	पूर्ण स्वामित्व सम्पत्तियाँ
संपत्ति आई.डी.	35269
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
भूखंड का आकार	6,110.753 वर्ग मीटर (1.51 एकड़)
आबंटन की तिथि	मार्च 1923
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रति वर्ष)	₹358

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया 1. एलएंडडीओ ने 15 जनवरी 2013 से 19 जुलाई 2017 तक प्रभावी भूमि किराया के बकाया का मांग नहीं की। निरीक्षण 2. निरीक्षण अक्टूबर 2012 के बाद सितंबर 2017 में किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निरीक्षण जुलाई 2014 में भी संपन्न किया गया था, हाँलाकि, एलएंडडीओ ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुख्य-फाईल लापता थी।	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एलएंडडीओ 14.07.1995 तक अनाधिकृत निर्माण के लिए भुगतान पर दावा कर सकता है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था और माननीय न्यायालय ने एलएंडडीओ की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एलएंडडीओ के द्वारा	न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, आगे कोई टिप्पणी नहीं की
अन्य मुद्दे 1. एलएंडडीओ ने अनाधिकृत निर्माण पर 14 जुलाई	दायर की गई पुर्नविचार याचिका भी ख़ारिज कर दी। इस प्रकार, माननीय उच्च	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
1995 के बाद क्षति शुल्क का दावा नहीं किया, यद्यपि	न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में	
पट्टेदार ने केवल जुलाई 2014 में सभी अतिक्रमण समाप्त	एलएंडडीओ केवल 14.07.1995 तक प्रभार	
किये। एलएंडडीओ के द्वारा जुलाई 2017 में हस्तांतरण	का भुगतान आरोपित कर सकता था और	
विलेख जारी किया गया था।	उसी का हिसाब लगाया गया था।	
2. 1923 से फरवरी 1967, नवंबर 1984 से सितंबर	एलएंडडीओ ने आगे कहा (अप्रैल 2021) कि	
2004 की अवधि से संबंधित पत्राचार फाईलों में उपलब्ध	1	
नहीं थे। सितंबर 2012 से जून 2017 की अवधि से संबंधित	1995 के बाद कोई मांग वसूली योग्य नहीं	
पत्राचार भी नहीं पाये गए।	थी। 2017 में संपत्ति के संपरिवर्तन के	
	समय, सभी सरकारी देय पहले ही वस्ल	
	किए जा चुके थे।	

20. 1, हेली रोड

वर्ग	पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्तियाँ
संपत्ति आई.डी.	18254
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
भूखंड का आकार	6,839.19 वर्ग मीटर (1.69 एकड़)
आबंटन की तिथि	जुलाई 1932
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रतिवर्ष)	₹200

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया 1. जनवरी 1928 से जून 1984 तक एलएडंडीओ द्वारा माँगे गए भूमि किराये का विवरण न तो ई-धरती पोर्टल पर उपलब्ध था और न ही अभिलेखो में पाया गया। 2. जुलाई 2011 से मार्च 2019 तक जमा की गई भूमि किराये की राशि वर्ष दर वर्ष भिन्न थी। 2011 से आगे के भूमि किराये तथा संशोधित भूमि किराये के वर्ष-वार विवरण को सत्यापित नही किया जा सका। निरीक्षण 3. अक्टूबर 2015 में अंतिम निरीक्षण किया गया था। अन्य देय 4. मई 2017 में किए गए दरों में संशोधन जोकि वर्ष 2000 से प्रभावी	करने तथा अद्यतन प्रभार परिकलित करने के लिए प्रकरण को तकनीकी अनुभाग को भेजा गया है। इसके पश्चात, पट्टेदार से माँग की जायेगी तथा यदि पट्टेदार इसे जमा नहीं करता तो पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की	पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक मामले में जारी माँग के विवरणों की निगरानी लेखापरीक्षा में की

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
था, के बाद हर्जाना प्रभार की देय राशि को पुनः परिकलित नहीं किया गया	एलएडंडीओ ने आगे उत्तर दिया	
तथा संशोधित दरों पर इसकी मांग नहीं की गई।	(अप्रैल 2021) कि सम्पूर्ण	
अन्य मुद्दे	परिसर के लिए माँग तैयार करने	
5. स्थाई पट्टा विलेख में 'अनर्जित वृद्धि' से संबधित कोई धारा नहीं	तथा प्रत्येक फ्लैट के लिए	
थी। यद्यपि सम्पत्ति के पट्टा अधिकार को कई हाथों में स्थानांतरित किया	अनुपातिक माँग जारी करने के	
गया परन्तु एलएडंडीओ द्वारा अनर्जित वृद्धि की माँग नहीं की गई।	लिए यह मामला पहले से प्रक्रिया	
6. 55 फ्लैटों के साथ एक बह्मंजिल भवन (समूह आवासन) बनवाया	में हैं।	
गया। 55 में से केवल 08 फ्लैटों को पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित किया		
गया।		
बकाया देय		
7. भूमि किराए, भूमि किराये पर ब्याज़ तथा हर्जाने के लिए ₹40.47		
लाख की राशि बकाया थी।		

21. सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू)

श्रेणी	व्यापार संघ
सम्पत्ति आई.डी.	21466
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
भूखंड का आकार	504 वर्ग मीटर
आबंटन की तिथि	फरवरी 2009
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रतिवर्ष)	₹27,399 (अनंतिम)

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएडंडीओ ने उत्तर दिया	सीआईटीयू ने जनवरी
1. एलएडंडीओ द्वारा भूमि दरों में संशोधन के कारण देय भुगतान की	(दिसम्बर 2020 तथा अप्रैल	2018 में तीन महीने के
माँग तथा भूमि किराए में संशोधन की सूचना पहेदार को देने के लिए कोई	2021) कि फाइल को	लिए निरीक्षण स्थगित
पहल नहीं की गई।	निरीक्षण के लिए	करने का अनुरोध किया
2. वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए भूमि किराये का भुगतान पहेदार	26.12.2017 को तकनीकी	था परन्तु चार वर्ष बीत
द्वारा नहीं किया गया। हालाँकि, एलएडंडीओ ने, जैसे ही भूमि किराया प्राप्त	अनुभाग में भेजा गया था।	जाने के बाद भी
हुआ उसे केवल स्वीकार कर लिया बिना यह ज्ञात किये कि पूर्व वर्षों के	निरीक्षण नोटिस की प्रतिक्रिया	एलएडंडीओ ने परिसर
भूमि किराए का भुगतान हुआ है या नहीं।	में, सीआईटीयू ने निरीक्षण को	का निरीक्षण नहीं किया।
निरीक्षण	कुछ महीने स्थगित करने का	इससे यह प्रदर्शित होता
3. फरवरी 2009 में भूमि के आबंटन के बाद परिसर का निरीक्षण नहीं	अनुरोध किया क्योंकि उनका	है कि सरकारी देय की
किया गया तथा भवन का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ।	भवन निर्माण की अंतिम	वसूली के लिए

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
 अन्य देय एलएडंडीओ द्वारा अभी तक निर्माण कार्य पूरा न होने पर पट्टेदार पर ₹26.05 लाख का दण्ड लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। ₹1.05 करोड़ के प्रीमियम के अन्तर के भुगतान के लिए एलएडंडीओ द्वारा कोई मांग नहीं की गई जिसका भुगतान सीआईटीयू द्वारा देय था। एलएडंडीओ द्वारा समय पर माँग नहीं की गई जिसके कारण लगभग ₹1.64 करोड़ (₹104.82 लाख प्रीमियम का शेष + ₹32.82 लाख भूमि किराये का शेष + ₹0.49 लाख भूमि किराये पर ब्याज + ₹26.05 लाख देर से किए गए निर्माण के लिये दण्ड) बकाया है। अन्य मुद्दे फाइल तथा ई-धरती पोर्टल में उपलब्ध भूमि किराये की दर तथा भूमि किराये के भुगतान से संबंधित सूचना में विसंगति है। 	अवस्था में था। संशोधित प्रीमियम तथा भूमि किराये के प्रभारो को परिकलित करने के लिए फाइल को 31.01.2019 को पुनः तकनीकी अनुभाग को भेजा गया। हालाँकि, इसे कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया गया। आगे, अब यह निर्णय लिया गया कि सरकारी देयों को अद्यतन करने से पहले परिसर का निरीक्षण किया जाए ताकि परिसर की नवीतम स्थिति जात हो सके। तदनुसार, परिसर का निरीक्षण करवाने के लिए फाइल अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।	

22. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)

	4 -
वर्ग	व्यापार संघ
सम्पत्ति आई.डी.	21368
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
भूखंड का आकार	952 वर्ग मीटर
आबंटन की तिथि	मई 2005
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रतिवर्ष)	₹51,754 (अनंतिम)

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
1. आबंटी को भूमि किराया तथा प्रीमियम संशोधित किए जाने के बाद बढ़ी हुई दर से भुगतान करना था। हालाँकि, दरो के संशोधन के बावजूद, प्रीमियम तथा भूमि किराये का संशोधन नहीं किया गया। आबंटी ने एलएडंडीओ को किसी भी भूमि किराये का भुगतान नहीं किया। 2. आबंटी ने जून 2019 में स्वंय सूचित किया कि इस ने किसी भूमि किराये का भुगतान नहीं किया तथा भुगतान योग्य देयों को सूचित करने को कहा। एलएडंडीओ ने आबंटी के भुगतान योग्य देयों को सूचित नहीं किया।	एलएडंडीओ ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि फाइल को 15.07.2019 में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ट (आईएसी) को संशोधित प्रीमियम तथा भूमि किराये को शामिल करते हुए सरकारी देयों को अद्यतन करने के लिए भेजा गया था। हालाँकि, आईएसी ने सलाह दी कि सरकारी देयों का परिकलन करने से पहले निर्माण की स्थिति की जाँच की जाए। तदनुसार, परिसर का निरीक्षण	2005 में भूमि आबंटित की गई थी। हालाँकि, अक्टूबर 2007 के बाद, एलएडंडीओ ने जुलाई 2019 तक कोई निरीक्षण नहीं किया अथवा भूमि किराये की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जबकि पहेदार ने जून

		लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
3. अक्टूबर 2007 के बाद, मार्च 2019 तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया। अन्य मुद्दे 4. भूखंड के लिए पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया। न ही एलएडंडीओ ने पट्टेदार को इसे करने को कहा। 5. एलएडंडीओ के पास स्वीकृत भवन योजना की प्रति उपलब्ध नहीं थी। 6. एआईटीयूसी को सात बार भूखंड आबंटित किया गया (मई 2005 में अंतिम बार)। तीन अवसरों (मई 2002, जुलाई 2002 तथा अक्टूबर 2002 में) पर भूखंड के आबंटन को रह किया गया क्योंकि इन पर कुछ अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया गया था जिन्हें निष्कासित नहीं किया जा सका। तीन बार (अगस्त 2001, जनवरी 2002 तथा जुलाई 2003) आबंटी ने आबंटन स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि प्लाट का आकार छोटा था। तदनुसार उल् 20.09.2019 के उपरोक्त की प्रति समापन योजन प्रस्तुत की तथा निर्म विश्वा करने के लिये अजाँच करने के लिये अजाँच की गई त्र दिनांक 12.03.2 मूल योजनाओं व अनुरोध किया जिन्हें निष्कासित नहीं किया जा सका। तीन बार (अगस्त 2001, जनवरी 201) कि एअ का पहले ही चुका है तथा समापन योजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत	लंघन के लिए ो नोटिस भेजा गया। तेक्रिया में, पहेदार ने ा की छाया प्रति ा उल्लंघन को माफ अनुरोध किया। इसकी तथा एआईटीयूसी से 2020 के पत्र द्वारा को प्रस्तुत करने का गया, जो अभी तक फिर कहा (अप्रैल गईटीयूसी के परिसर निरीक्षण किया जा पहेदार द्वारा मूल	किया था कि इसने किसी भूमि किराये का भुगतान नहीं किया था तथा इसके भुगतान योग्य देयों को सूचित करने को कहा। इसके पश्चात, एलएडंडीओ ने केवल वह फाइल आईएसी के पास देयों को अद्यतन करने के लिये अग्रेषित कर दी। हालाँकि, इसने पट्टेदार को भुगतान योग्य देयों के बारे सूचित नहीं किया। यह प्रदर्शित करता है कि एलएडंडीओ ने देयों के वस्ली के लिए ठोस प्रयास नहीं किये।

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
बकाया देय	जायेगा।	
7. एलएडंडीओ ने एआईटीयूसी से ₹84.52 लाख के प्रीमियम के अंतर के भ्गतान की माँग नहीं की जिसका भ्गतान एआईटीयूसी		
द्वारा देय था।		
8. भूमि किराया, भूमि किराये पर ब्याज तथा प्रीमियम के कुल₹1.35 करोड़ बकाया थे।		

23. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी)

वर्ग	व्यापार संघ
सम्पत्ति आई.डी.	20584
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
भूखंड का आकार	370.566 वर्ग मीटर
आबंटन की तिथि	जून 1984
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रति वर्ष)	₹24,319

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया 1. भूमि किराए के संशोधन की नियत तिथि (जून 2014) आबंटन की तिथि से 30 वर्ष बाद की मानी गई क्योंकि पृष्टा विलेख को हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। भूमि किराये का संशोधन नहीं किया गया था। 2. जुलाई 1997 तक भूमि किराये का भुगतान किया गया था। 3. देयों को प्राप्त करने के लिए एलएडंडीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की।	एलएडंडीओ ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि इसने समय-समय पर निरीक्षण किया तथा तदनुसार, पट्टेदारों को उल्लंघन नोटिस जारी किया गया। परिसर की वर्तमान स्थिति जानने के लिये, परिसर का निरीक्षण किया गया तथा तदनुसार, आईएनटीयूसी को 23.04.2018 को उल्लंघन नोटिस जारी किया गया। इसकी प्रतिक्रिया में, आईएनटीयूसी ने उल्लंघनो को ठीक	वे समय समय पर निरीक्षण कर रहे थे, सही नहीं है क्योंकि सितम्बर 2005 के बाद अगला निरीक्षण, लगभग 13 वर्षों बाद, अप्रैल 2018 में किया गया। एलएडंडीओ के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं था कि एलएडंडीओ ने बिना स्वीकृत भवन योजना के कैसे
	करने के लिये कुछ और समय का	निरीक्षण किया तथा उल्लंघन

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
अन्य देय	अनुरोध किया तथा आश्वासन दिया	नोटिस जारी किया क्योंकि
4. एलएडंडीओ ने बकाया देयों का न तो परिकलन किया न	कि जैसे ही वे वैकल्पिक व्यवस्था कर	पट्टेदार से योजना के पूर्ण सेट
ही आबंटी से मांग की।	लेंगे, अस्थायी ढांचे को बहुत जल्दी	देने का अनुरोध अप्रैल 2019
निरीक्षण	तोड़ दिया जायेगा। इसके पश्चात,	में ही किया गया था। योजना
	सरकारी देयों के परिकलन के लिए	के पूर्ण सेट के लिए
5. सितम्बर 2005 के बाद सम्पत्ति का निरीक्षण केवल	फाइल को तकनीकी अनुभाग को भेजा	अनुस्मारक जारी करने में 20
अप्रैल 2018 में किया गया तथा उसी महीने उल्लंघन नोटिस	गया। इसी बीच, आईएनटीयूसी ने	महीने लग गये। एलएडंडीओ
जारी किया गया।	योजना प्रस्तुत की। योजना की	ने पट्टेदार से भूमि किराये की
6. इसके पश्चात सम्पत्ति पर पुनः अधिकार करने या	तकनीकी अनुभाग के परामर्श से जाँच	वसूली करने के लिए कोई
आबंटी से देय की मांग करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।	की गई तथा यह पाया गया कि	कार्रवाई नहीं की, जिसका
अन्य आपत्तियां	पहेदार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना	
7 पट विरोध पर दर गुध्य नहीं विरो गुरो।	अपूर्ण थी। दिनांक 26.04.2019 के	किया गया था।
7. पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।	पत्र द्वारा पट्टेदार से योजना के पूर्ण	
8. एलएडंडीओ के पास स्वीकृत भवन योजना नहीं थी।	S S	
फरवरी 2019 में आबंटी द्वारा प्रस्तुत योजना को एलएडंडीओ		
द्वारा अपूर्ण माना गया। स्वीकृत भवन योजना के बिना	08.12.2020 को एक अनुस्मारक भी	
निरीक्षण किये गए।	भेजा गया।	
9. ई-धरती सम्पत्ति प्रोफार्मा के डाटा केवल जुलाई 2003	एलएडंडीओ ने फिर कहा (अप्रैल	
तथा सितम्बर 2005 के निरीक्षण को इंगित करते हैं। वर्तमान		

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
देय तथा भुगतान की गई राशि को शून्य दिखाया गया था।	योजना को अंतिम रुप नहीं दिये जाने	
प्रोफार्मा के अधिकतर कालम भरे नहीं गये थे।	के कारण आबंटी समय पर योजना	
बकाया देय	प्रस्तुत नहीं कर सका। पार्टी को	
10. भूमि किराये तथा भूमि किराये पर ब्याज की ₹11.69	योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है।	
लाख की राशि बकाया थी। हर्जाने/ दुरुपयोग शुल्क के कारण		
अन्य देयों का परिकलन नहीं किया जा सका।		

24. किशन भाग चन्द (कैपिटल कोल कम्पनी), पृथ्वीराज लेन

	<u> </u>
वर्ग	कोल डिपो/ गैस गोदाम
सम्पत्ति आई.डी.	36100
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
भूखंड का आकार	161.62 वर्ग मीटर (193.3 वर्ग गज)
आबंटन की तिथि	जुलाई 1967
आबंटन के समय भूमि किराया (प्रतिवर्ष)	₹1,461.60

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
नहीं किया। अन्य देय 2. एलएडंडीओ ने कोल डिपो के लिये ₹99.47 लाख के बकाया देय का परिकलन किया तथा मार्च 2012 में मांग पत्र जारी किया। आबंटी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया। अन्य मुद्दे	कि सरकारी देयो की वस्ती के लिए कार्रवाई की जा रही है। एलएडंडीओ ने फिर उत्तर दिया (अप्रैल 2021) कि सम्पत्ति अधिकारी द्वारा	क्योंकि एलएडंडीओं कैपिटल कोल कम्पनी को पत्र जारी करने पर अब विचार कर रही है जिसका ठिकाना जात नहीं है क्योंकि 1971 से इसके पास परिसर का कब्जा नहीं है।
3. एलएडंडीओ ने सितम्बर 1969 के बाद मासिक किराये का भुगतान न किये जाने के कारण मूल आबंटी को अनाधिकृत पट्टेदार माना। जून 1981 में, एक श्री	निष्कासन आदेश जारी करने के बाद	तथ्य यह रह जाता है कि एलएडंडीओ समय

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएडंडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
जगदीश चन्द्र ने एलएडंडीओ को सूचित किया कि पिछले 10 वर्षों से डिपो का कब्जा	15.11.2018 को स्थल	पर उपचारात्मक उपाय
उसके पास था तथा उसने पट्टे का स्थानांतरण अपने नाम पर करने का अनुरोध किया।	का कब्जा सी पी डब्लू	करने में विफल रहा
उसने नवम्बर 1984 में यह भी सूचित किया कि कैपिट्ल कोल कम्पनी के नाम पर		
चलाया जा रहा व्यापार जिसे अब सी कोल कम्पनी के नाम पर चलाया जा रहा है का	था। कैपिटल कोल	लाख का सरकारी देय
स्पष्ट स्वामित्व, मध्यस्थता निर्णय के कारण उसके पास था। यह जानते हुए भी	कम्पनी को बकाया देयों	प्राप्त नहीं ह्आ।
एलएडंडीओ ने सम्पत्ति के अधिभोगी की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने तथा उसे बाहर	की वसूली के लिये पत्र	
निकालने का प्रयास नहीं किया।	जारी किया जा रहा है।	
4. 10.04.2000 से 19.10.2004 तथा 06.02.2006 से मई 2010 के बीच आठ	इस मामले को राजस्व	
वर्ष से अधिक समय तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि फाइल प्रस्तुत	विभाग, जी एन सी टी,	
नहीं की गई।	दिल्ली के साथ भी	
5. एलएडंडीओ ने अप्रैल 2015 में निष्कासन के लिये वाद-पत्र दायर किया।	लिया जायेगा।	
सम्पत्ति अधिकारी ने मई 2018 में अनाधिकृत अधिभोगियों के निष्कासन के लिए		
आदेश दिया तथा अनाधिकृत रुप से परिसर का उपयोग करने तथा कब्जा करने के		
लिये ₹99.47 लाख के हर्जाना प्रभार की वसूली का भी आदेश दिया। नवम्बर 2018 में		
भूमि का कब्जा वापस ले लिया गया परन्तु ₹99.47 लाख की वसूली के लिये कार्रवाई		
नहीं की गई।		
बकाया देय		
6. सम्पत्ति के अनाधिकृत प्रवेश के कारण ₹99.47 लाख की राशि के अन्य देय		
बकाया थे।		

25. सुखदीप कोल डिपो

वर्ग	कोल डिपो/ गैस गोदाम
संपत्ति आई.डी	33811
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	139.63 वर्ग मीटर (167 वर्ग गज)
आबंटन की तिथी	उपलब्ध नहीं
आबंटन के समय जमीन का किराया (प्रति वर्ष)	उपलब्ध नहीं

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
आपत्तियां:	एलएंडडीओ ने उत्तर	तथ्य यह है कि
1. सुखदीप कोल डिपो का राउज एवेन्यू की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा था। नीति के अनुसार, उसे जून 2000 में वैकिल्पक स्थल मीर दर्द रोड पर आबंटित किया था। हालांकि, स्थानीय निवासियों के द्वारा इस स्थल के आबंटन का विरोध किया गया था। उसके बाद उसे जून 2002 में मालवीय नगर में प्लॉट आबंटित किया गया था। इस प्लॉट पर सार्वजनिक शौचालय का अतिक्रमण था और जनवरी 2009 में उन्हें भूमि सौंप दी गई थी। पट्टेदार ने अगस्त 2009 में पट्टे पर से पूर्ण स्वामित्व में परिवितित करने के लिए आवेदन दिया था। हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए पत्र मई 2010 में पट्टेदार को भेजा गया था। परंतु हस्तांतरण विलेख की प्रति रिकॉर्ड में नहीं पाई गई थी। 2. पट्टेदार ने पूर्ण स्वामित्व में परिवितन के लिए आवेदन के समय पर वचन पत्र दिया	(अप्रैल 2021) कहा कि अंतर, यदि कोई वसूली योग्य है, जल्द से जल्द सूचित किया	के कारण परिर्वतन
कि भूमि दरों मे संशोधन के बाद, वह अन्तर का भुगतान करेगा। हालांकि, मई 2017 में	जायेगा।	

भूमि दरों में संशोधन के बाद, एलएंडडीओ के द्वारा पट्टेदार से ₹6,316 रूपये की धनराशि के अंतर की कोई वसूली नहीं गई।

3. पहेदार के द्वारा दी गई वचनबद्धता के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व संपत्ति पद्दा/ मास्टर योजना नियम के शर्त के अनुसार उपयोग किया जाना था, परंतु फाईल में ऐसा कोई पत्राचार नहीं था जो यह दर्शाता हो कि एलएंडडीओ ने यह सुनिश्चित किया था कि पहेदार द्वारा पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तन के बाद पट्टे की शर्तों का पालन किया जा रहा था।

बकाया देय

4. संपरिवर्तन के बाद संशोधित दरों पर शुल्क की वसूली नहीं होने के कारण अन्य देय राशि के रूप में ₹0.06 लाख की राशि बकाया थी।

26. मेसर्स केयसन इंटरप्राइजेज, बीपीसीएल को आबंटित गैस गोदाम स्थल, साईट सं 2, सरदार पटेल मार्ग

वर्ग	कोल डिपो/ गैस गोदाम
संपत्ति आई.डी.	20990
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
प्लॉट का आकार	524 वर्ग मीटर
आबंटन की तिथि	सितंबर 1983
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹3,604

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर	अप्रैल 2021 का उत्तर अपने
1. दिसंबर 2006 तक हर पाँच साल में भूमि किराये को संशोधित	दिया (दिसंबर 2020) कि	आप में विरोधाभाषी है। क्योंकि,
किया जाना था, उसके बाद सालाना आठ प्रतिशत की वृद्धि होनी थी। इसे	निरीक्षण 31.07.2018	एक तरफ वह कहता है कि
अप्रैल 2013 में पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था। अप्रैल 2013 के	को किया गया था और	कार्य योजना स्वीकृति के प्रस्तुत
बाद भूमि किराये की गणना नहीं की गई और आबंटी को सूचित नहीं	उल्लंघन नोटिस	होने तक पट्टेदार के विरुद्ध मांग
किया गया था।	01.10.2018 को जारी	के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं
2. अप्रैल 2013 में जारी ₹3.52 लाख की मांग के संदर्भ में केवल ₹2	किया गया था। एक बार	की जा सकती, लेकिन दूसरी
लाख का भ्गतान अक्टूबर 2015 में किया गया था। एलएंडडीओ द्वारा	जाँच खत्म होने के बाद	तरफ कहता है कि संशोधित
फरवरी 2018 में बकाया भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया था,	मांग तैयार की जाएगी	मांग का कार्य प्रक्रिया में है।
लेकिन इनका भ्गतान नहीं किया गया था।	और पहेदार को भेजी	इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने
	जाएगी।	रिकॉर्ड से पाया कि बीपीसीएल
		ने ₹3.52 लाख की मांग के

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
अन्य देयताएँ	एलएंडडीओ ने आगे	खिलाफ केवल ₹2 लाख का
3. देय राशि की गणना केवल दिसम्बर 2013 तक की गई थी।	उत्तर दिया (अप्रैल	भुगतान किया था जबकि
अद्यतन मांग जारी नहीं की गई थी।	2021) कि स्वीकृत	एलएंडडीओ ने कहा कि पट्टेदार
निरीक्षण	योजना के प्रस्तुत होने	के द्वारा ₹3 लाख का भुगतान
4. फरवरी 2012 के बाद निरीक्षण केवल जुलाई 2018 में किया गया	तक, मांग के सन्दर्भ मे	किया गया है। एलएंडडीओ ने
था और उल्लंघन नोटिस अक्टूबर 2018 में जारी किया गया था।	कोई कार्यवाई नहीं कि	अपने उत्तर के पक्ष में कोई
अन्य आपत्तियां	जा सकती। बीपीसीएल के	दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं
5. उल्लंघनों का समाधान न होने के बावजूद संपत्ति पर में पुन: अधिकार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6. लाइसेंस विलेख हस्ताक्षरित नहीं था। 7. एलएंडडीओं के पास स्वीकृत भवन योजना की प्रति उपलब्ध नहीं थी। 8. प्लॉट का आबंटन अस्थायी था। हालांकि, अस्थायी आबंटन की अविध नहीं पाई गई थी। अस्थायी आबंटन का नवीनीकरण कभी हुआ नहीं था। 9. ई-धरती के आँकड़े अध्रे थे और भुगतान विवरण के संकेत नहीं थे।	द्वारा ₹3.52 लाख की मांग के संदर्भ मे, ₹3 लाख का भुगतान किया गया था। उल्लंघन नोटिस 2018 में जारी किया गया था। संशोधित मांग के लिए कार्य तकनीिक विभाग से परामर्श के तहत प्रक्रिया में है।	5
बकाया देय		
10. भूमि किराया, भूमि किराए के ब्याज व क्षति/ दुरुपयोग के कारण अन्य देय के रुप में ₹8.73 लाख की राशि बकाया थी।		

27. मेसर्स प्रेम सर्विस स्टेशन, बीपीसीएल, जे.बी. टीटो मार्ग, एंड्रयूज गंज पुलिस स्टेशन के पीछे

वर्ग	पेट्रोल पंप
संपत्ति आईडी	20250
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आधार	1,532.62 वर्ग मीटर (1,833 वर्ग गज)
आबंटन की तिथि	23 मई 1961
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹5,499

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया (दिसंबर	43 वर्ष से अधिक समय बीत
1. 31.03.1974 की अवधि के बाद का भूमि किराया	2020) कि डीडीए के द्वारा	जाने के बाद भी, एलएंडडीओ यह
दुरूपयोग और क्षति शुल्क के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।	बीपीसीएल को 07.03.1977 को	पुष्टि नहीं कर सका कि भूमि का
2. मेसर्स बर्मा शेल (अब बीपीसीएल) के दवारा	वैकल्पिक स्थल के तौर पर जोसेफ	स्वामित्व एलएंडडीओ के पास है
31.03.1974 के बाद का किया गया भ्गतान एलएंडडीओ ने	ब्राज टिटो मार्ग पर कब्जा दिया	या डीडीए के पास है। इसे इस
इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया कि निरीक्षण के दौरान	था। बीपीसीएल द्वारा निरीक्षण को	तथ्य के आलोक में देखा जा
उल्लंघन पाए गए थे और उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया	इस आधार पर अस्वीकार कर दिया	सकता है कि एलएंडडीओ और
गया था।	गया था कि निरीक्षण नियमित रूप	डीडीए दोनों एक ही मंत्रालय के
	से डीडीए के द्वारा किया जा रहा	प्रशासनिक नियंत्रण में है।
निरीक्षण	था और डीडीए को भूमि के किराए	अर्थात, आवासन और शहरी कार्य
3. 1963 में भूमि का एलएंडडीओ में स्थानांतरण हुआ था।	का भुगतान नियमित रुप से किया	मंत्रालय।
पहला निरीक्षण 11 साल की लंबी अवधि के बाद सितंबर	जा रहा था। तदनुसार, बीपीसीएल	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
1974 में संचालित किया गया था। अंतिम निरीक्षण 1995 में	को आबंटन का रिकॉर्ड अग्रेषित	
किया गया था। एलएंडडीओ के द्वारा नियमित रूप से उल्लंघन	करने के लिए डीडीए को पत्र संख्या	
नोटिस जारी नही किया गया और निरीक्षण नहीं किया गया।	दिनांक 21.07.2006 के माध्यम से	
अन्य मामले	अनुरोध किया गया था। हालांकि,	
4. पट्टे का नवीनीकरण किया गया था या नहीं यह रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं था। 5. बीपीसीएल ने निरीक्षण के दौरान पाये गए उल्लंघनों के नियमितिकरण के लिए शुल्कों के भुगतान के लिए बार-बार आग्रह किया था परन्तु, फिर भी एलएंडडीओ ने कोई मांग सूचना जारी नहीं की। 6. एलएंडडीओ को मई 2006 में इस आधार पर निरिक्षण करने से मना कर दिया कि डीडीए के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे थे। हालांकि, रिकॉर्ड में यह उल्लेख किया गया था कि परिसर के बाहर से अवलोकन करने पर क्षेत्र के हिस्से का दुरुपयोग सुविधा स्टोर, एटीएम, मनी ट्रान्सफर के रुप मे किया जा रहा था। जुलाई 2006 में, एलएंडडीओ ने डीडीए से बीपीसीएल से भुगतान की रसीद और आबंटन के रिकॉर्ड के बारे मे पूछा। इसके अतिरिक्त कोई पत्राचार रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था।	उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। डीडीए से आबंटन का रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरु की गई थी। बकाया देय राशि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भूमि का स्वामित्व डीडीए के पास था और इस तथ्य को डीडीए से सत्यापित किया जाना बाकी था। एलएंडडीओ ने आगे उत्तर दिया (अप्रैल 2021) कि परिसर के निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंप के मालिक ने बताया कि डीडीए के द्वारा निरीक्षण किया गया है और वे भूमि किराये का भुगतान डीडीए को कर रहे है इससे यह स्पष्ट है कि भूमि डीडीए के प्रशासनिक	

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
7. ई-धरती पर सूचना अधूरी थी जिसमे रिकॉर्ड के	नियंत्रण में है।	
कंप्यूटरीकरण के उद्देश्यों को विफल कर दिया।		
बकाया देय		
8. भूमि किराया और भूमि किराया पर ब्याज के रुप मे		
₹10.07 लाख की राशि बकाया थी। क्षति/दुरुपयोग प्रभारो से		
संबंधित अन्य देयताओं की गणना नहीं की जा सकी।		

28. मेसर्स कृष्णा फिलिंग सर्विस स्टेशन, बीपीसीएल, मिंटो रोड

वर्ग	पेट्रोल पंप
सम्पत्ति आईडी	47832
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	1,080 वर्ग मीटर
आबंटन की तिथि	18 जून 2008
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹10,00,000 (लाइसेंस शुल्क)

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओं के उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
भूमि किराया 1. लाइसेंस शुल्क और उस पर ब्याज बीपीसीएल से आज तक देय था। बकाया की कोई मांग नहीं की	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020 और अप्रैल 2021) कि डीडीयू मार्ग पर 18.06.2008 को मेसर्स बीपीसीएल को 2 वर्ष की प्रारंम्भिक अविध के लिए भूमि आबंटित	मे आबंटन के बाद पैट्रोल पंप भूमि उपयोग और अन्य मुद्दों के
गई। निरीक्षण 2. स्थल के आबंटन के समय से कोई निरीक्षण	की गई थी। बीपीसीएल से एक पत्र दिनांक 06.11.2009 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि नार्थ डीएमसी के एक दल ने साइट	करने योग्य नहीं है क्योंकि एलएंडडीओं ने कभी स्थल का
नहीं किया गया है। अन्य आपित्तयां: 3. आबंटन पूर्ण रुप से अस्थायी आधार पर दो वर्ष की अविध के लिए किया गया था। 10 वर्ष के बीत जाने के बावजूद, आबंटन का नवीनीकरण नहीं किया	पर निर्माण पर आपितत जताई क्योंकि यह राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में आता है और संयुक्त जाँच निरीक्षण का अनुरोध किया। बीपीसीएल ने पत्र दिनांक 21.10.2018 के माध्यम से सूचित किया कि नार्थ एमसीडी ने	रिकॉर्ड की जाँच के दौरान लेखा परीक्षा ने पाया कि एलएंडडीओ समय समय पर बीपीसीएल से आंशिक रुप में भुगतान प्राप्त
गया था।	बीपीसीएल भवन योजना की स्वीकृति पर रोक	कर रहा है और अंतिम भुगतान

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ के उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन: टिप्पणियां
4. फिलिंग स्टेशन लगाने के लिए मुख्य	लगा दी है। इस मुद्दे को तकनीकि विभाग के	जनवरी 2017 में प्राप्त किया
विस्फोटक सुरक्षा नियंत्रक का लाइसेंस रिकॉर्ड मे नहीं	द्वारा डील किया गया। चूंकि परिसर पर	गया था। साथ ही लेखापरीक्षा के
पाया गया।	विवाद था, इसलिए भूमि किराया का प्रश्न ही	स्थल दौरे के दौरान (जनवरी
5. कोई पट्टा विलेख रिकॉर्ड मे नहीं पाया गया।	नही उठता। संपदा अधिकारी की सलाह पर	2021) पर यह पाया गया कि
6. इस पेट्रोल पंप से संबंधित कोई सूचना ई-धरती	इस मामलें को सीपीडब्ल्यूडी की टिप्पणी के	उक्त पेट्रोल पंप कार्यरत है।
पर अपलोड नहीं की गई है।	लिए भेजा गया। एडीजी (आर्किटेक्ट)	बीपीसीएल से आंशिक रुप में
बकाया राशि	सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार डीडीए को	भुगतान प्राप्त करने के बावजूद
	29.11.2018 को बीपीसीएल पेट्रोल पंप को	एलएंडडीओ ने साइट की सही
7. भूमि किराया तथा भूमि किराये पर ब्याज के रुप में	अपने रिकॉर्ड अर्थात् एमपीडी-2021 मे शामिल	स्थिति जानने के लिए साइट का
₹2.10 करोड़ की राशि बकाया थी। क्षतियों व	करने के लिए पत्र भेजा गया था, 2008 में	निरीक्षण नही किया। बिना
दुरूपयोग प्रभारों के कारण अन्य देय योग्य राशि	आबंटन के बाद भूमि उपयोग एवं अन्य	निरीक्षण किये एलएंडडीओ के
की गणना नहीं की जा सकी।	कारणों के चलते पेट्रोल पंप कार्यरत नहीं है।	पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने का
	अतः सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही	कोई आधार नहीं था कि पेट्रोल
	मेसर्स बीपीसीएल को मांग जारी की जाएगी।	पंप कार्यरत नहीं है।

29. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

वर्ग	राजनैतिक पार्टियाँ
संपत्ति आईडी	21483
क्षेत्राधिकारी स्थानीय निकाय	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
प्लॉट का आकार	1,008 वर्ग मीटर
आबंटन की तिथि	20 दिसम्बर 2013
आबंटन के समय भूमि का किराया (प्रति वर्ष)	₹54,798

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
आपित्तयां 1. भूमि 2011 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) को आबंटित की गई थी लेकिन अतिक्रमण के चलते यह भूमि एआईटीएमसी को सौंपी नहीं जा सकी। एआईटीएमसी को एक अन्य भूमि भी आबंटित की गई लेकिन इस भूमि पर भी अतिक्रमण था। 2. एलएंडडीओ के कार्यालय नियमावली के अनुसार क्रेता की उपस्थिति में विचाराधीन भूमि का सीमांकन किया जाना था तथा सीमांकन के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाना था कि इस भूमि का	एलएंडडीओ ने उत्तर दिया कि राउज एवेन्यू में 01.03.2011 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को प्लॉट आबंटित किया गया था। लेकिन इसे एआईटीएमसी को दिल्ली वक्फ बोर्ड के इस दावे के कारण नहीं सौंपा जा सका कि उक्त भूमि दिल्ली वक्फ बोर्ड की है जिसके चलते इसका सीमांकन भी नहीं किया गया। इसलिए 20.12.2013 को डीडीयू मार्ग पर दो प्लॉटों का मिलान करते हुए 'जहां है, जैसा है' के आधार पर एआईटीएमसी को दो प्लॉट आबंटित किए गए। परिसर पर दो मंदिरों के स्थित होने के कारण एआईटीएमसी ने कब्जा लेने से इंकार	के आबंटन के पहले एलएंडडीओ को अतिक्रमण की जानकारी नहीं थी। उक्त प्लॉट दिसम्बर 2013 में आबंटित किए गए थे लेकिन एलएंडडीओ सात साल बाद भी ये अतिक्रमण नहीं हटा

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

लेखापरीक्षा अवलोकन	एलएंडडीओ का उत्तर	लेखापरीक्षा की पुन:
		टिप्पणियां
सीमांकन किया गया है तथा खाली स्थिति में सौंप	कर दिया। एआईटीएमसी ने दिनांक	
दिया जाना था। लेकिन इस मामले में ऐसा नही किया	16.02.2019 के पत्र के माध्यम से उपरोक्त	
गया तथा अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कर्रवाई नही	खाली भूखंड के प्रवेश को सौंपने का अनुरोध	
की गई।	किया था न कि 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर।	
3. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एलएंडडीओ के	एआईटीएमसी को आबंटन सामान्य नियमों एवं	
स्वामित्व वाली खाली भूमि का समय-समय पर	शर्तों पर अन्य बातों के साथ 'जहाँ है जैसा है' के	
सर्वेक्षण नहीं किया गया जिससे पता चल सके कि	आधार पर किया गया था। उनके द्वारा आबंटन	
भूमि अतिक्रमण रहित है।	की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था।	
4. वर्तमान आबंटन को ई-धरती पोर्टल पर अपडेट	आबंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया	
नहीं किया गया था।	पहले ही शुरू कर दी गई है और भूमि	
	एआईटीएमसी को प्रस्त्त की जाएगी। यदि फिर	
	भी एआईटीएमसी इसे अस्वीकार कर देता है तो	
	आबंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा भूमि को	
	वैकल्पिक उपयोग मे लिया जाएगा।	
	एलएंडडीओ ने आगे बताया (अप्रैल 2021) कि	
	दिल्ली में मंदिरों को दिल्ली सरकार की धार्मिक	
	समिति हटा सकती है।	

अनुलग्नक ॥
(अध्याय-॥ के प्रस्तावनात्मक पैरा में संदर्भित)
'भूमि तथा विकास कार्यालय की कार्यप्रणाली' पर
लोक लेखा समिति के 78^{वं} प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की स्थिति

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
प्रमाणिकता और भूमि	समिति ने कहा कि उनकी सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय/एलएंडडीओ ने सभी लीज की गई संपित्तियों के एक प्रमाणिक आंकड़ें तक पहुंचनें के लिए सर्वेक्षण करना और विरासत में मिले अभिलेखों की जांच करना शुरू कर दिया था लेकिन समिति ने पाया कि स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं थी। उदाहरण कि लिए नज़ूल संपित्तयों से संबंधित 46 फाइलों का पता लगाया जाना अभी बाकी है और 68 इनपुट अभी पूरे किए जाने बाकी है। इसी तरह पुनर्वास संपित्तयों के लिए 12,188 इनपुट भी अभी लंबित थे। इसलिए समिति ने मंत्रालय/ एलएंडडीओ को शुरू किए गए उपायों को तेज करने और लापता फाइलों का पता लगाने और सभी पट्टे पर दी गई संपित्तयों के डेटा इनपुट को एक	 नज़्ल संपत्तियां की संख्याः 3,373 कुल संपत्तियां में से पूर्ण स्वामित्व सम्पत्तियां की संख्याः 901 पूर्ण किए गए इनपुट की संः 2,455 राष्ट्रीय अभिलेखागारों को भेजी गई फाईलेः 17 पुनर्वास संपत्तियां की संख्याः 49,523 कुल संपत्तियां की संख्याः 49,523 कुल संपत्तियां मे से पूर्ण स्वामित्व संपत्तियां की संख्याः 26,246 पूर्ण किए गए इनपुट की संख्याः 20,004 शेष इनपुटः 3,273 	वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एलएंडडीओ के पास अभी भी पट्टे पर दी गई संपत्तियों के प्रमाणिक आंकड़ें नहीं है क्यों विभिन्न दस्तावेजों में अलग-अलग आंकड़ें बताए गए हैं (पैरा 3.2 मे देखें)

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वीं} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	निश्चित समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा ताकि दिल्ली में प्रमुख सरकारी संपत्तियों के अधिकार के प्रतिस्थापन और नामांतरण सहित समस्त पट्टा प्रशासन की सौंपी गई जिम्मेदारी सहज और निर्बाध तरीके से किया जा सके।	मंत्रालय का आगे का उत्तर जैसा कि पीएसी को अक्टूबर 2013 में प्रस्तुत किया गया था पुनर्वास संपत्तियों के संबंध में पूर्ण किए गए इनपुटों की संख्या 20,334 है। अतः 30 अगस्त 2013 तक शेष इनपुटों की संख्या. 2,943 है।	
पैरा 12: लेखापरीक्षा को रिकॉर्ड एवं दस्तावेज देने से मना करना	कि लेखापरीक्षा के लिए अभिलेखों की पूर्ति ना करने के लिए किसी भी स्तर पर जानबूझकर	मंत्रालय ने समिति की अनुशंसाओं पर ध्यान दिया है तथा प्रतिबद्धता दिखाई है कि, भविष्य में, लेखापरीक्षा को रिकार्ड उपलब्ध करवाने से इंकार का कोई अवसर नहीं आएगा।	प्रतिबद्धता नही निभाई क्योंकि एलएंडडीओ ने लेखापरीक्षा

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	अविश्वास और इस अनुमान का कारण बनता है कि विभाग की कार्यपद्धित में अवश्य ही कुछ गलत होगा। समिति ने इस प्रकार मंत्रालय से यह ठोस आश्वासन माँगा कि भविष्य में, किसी भी स्थिति में लेखापरीक्षा को किसी भी अभिलेख/ सूचना से इंकार नहीं किया जाएगा।		
पैरा 16: एनआईसी द्वारा संविदात्मक उल्लघन	क्योंकि उनकी चिन्ताओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया था। अपने पूर्व प्रतिवेदन में	स्थानीय निकाय ही इन बाजारों के लिए पट्टाकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। समिति के अवलोकनों को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सम्प्रेषित कर दिया	करवाए गए अतः कोई टिप्पणी

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	उठाना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से, शहरी विकास मंत्रालय इस मामले पर मौन रहा। ऐसी अनुचित प्रतिक्रिया के विरोध में, समिति ने एमओयूडी को तुरन्त मामले को डीओटी के समक्ष उठाने का निर्देश दिया जिससे कि संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में एनआईसी की असमर्थता को विभागीय प्रमुख के संज्ञान में लाया जा सके और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। समिति ने यह इच्छा भी प्रकट की कि अब जबिक लेआऊट योजना को अपलोड करने के लिए एक निर्णय लिया जा चुका है इसके नियमित रूप से अपलोड के अद्धयतन एवं निगरानी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ जिससे कि पिंटलक डोमेन में संदर्भ के लिए प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो।	योजना की स्कैनड प्रति एलएंडडीओ की	
पैरा 19: प्रत्येक उद्देश्य के लिए भूमि के आबंटन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का	संस्थान दवारा अवैध रूप से कब्जा की गई	करने की अनुशंशा की। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 29 मामलों मे आबंटन को रद्द करने	करवाए गए अतः कोई टिप्पणी नहीं। तथापि, एलएंडडीओ ने उत्तर

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
कड़ाई से पालन	नियमित कर दिया गया। एक अन्य मामले में लोगों के एक निश्चित वर्ग की आहत धार्मिक भावनाओं को शांत करने के लिए कथित तौर पर एक संगठन को 541.7 वर्ग मीटर भूमि पर ध्वस्त एक अवैध निर्माण को पुनर्निर्मित कर दिया गया। समिति ने आगे पाया कि यद्यपि एक अन्य धार्मिक संस्थान को 1500 वर्ग यार्ड भूमि आबंटित की गई थी, इसके द्वारा 500 वर्ग यार्ड की एक अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया जिसका इसे आबंटन भी कर दिया गया और इस अतिरिक्त भूमि को रद्द करने के प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। समिति का यह एक सुविचारित मत था कि धर्म की आड़ में कीमती भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण और कब्जा स्वीकार्य नहीं था और ऐसे सभी अतिक्रमणों को पूरी दढ़ता और आवश्यक अनुनय के साथ हटाया जाना चाहिए। इसलिए, समिति ने मंत्रालय पर धार्मिक/ चैरिटेबल गतिविधियों सहित, सभी उद्देश्यों के लिए, भूमि आबंटन के	1. अय्यपा सेवा समिति, आर.के.पुरम (400 वर्ग मीटर) 2. सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (आर्य समाज मन्दिर) (541.7 वर्ग मीटर) हालांकि जहाँ तक गुरु सिंह सभा को आबंटन रद्द करने का संबंध है सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। मंत्रालय ने संबंधित नागरिक निकायों के साथ ऐसे अवैध धार्मिक/ चैरिटेबल संस्थानों जिनका दुरुपयोग रिहायशी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हो रहा था, के बिजली/पानी के कनैक्शन काटने का मामला उठाया है। अक्तूबर 2013 में पीएसी को प्रस्तुत मंत्रालय का आगे का जवाब	की जाँच की जा रही थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो एनसीटी दिल्ली की सरकारी धार्मिक समिति के साथ मामले को उठाया जाएगा। यह दर्शाता है कि एलएंडडीओ ने पीएसी को मंत्रालय के जवाब (अक्तूबर 2013) के सात वर्षों के बाद भी अभी तक आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	लिए योगेश चन्द्र समिति द्वारा निर्धारित संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और जहाँ कहीं आवश्यक हो, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए कड़े उपाय करने का दबाव डाला। समिति यह भी चाहेगी कि मंत्रालय ऐसे धार्मिक/ चैरिटेबल निर्माणों के, जिनका रिहायशी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग हो रहा था, बिजली और पानी के कनैक्शन काटने पर विचार करे।		
पैरा 23: भूमि किराया संशोधन (आरजीआर) सैल का अस्थायी रूप से बंद होना	से संबंधित कार्य कभी भी बंद नहीं हुआ यद्यपि भूमि किराया संशोधन (आरजीआर) सैल दो वर्ष से अधिक के लिए बन्द था स्वीकार्य नहीं था क्योंकि फरवरी 2010 में आरजीआर सैल के पनरुत्थान के पश्चात जून, 2012 में 1516 मामलों में भूमि किराये को संशोधित किया गया था। अतः इससे इनकार नहीं किया जा सकता की लंबित	बकाया भूमि किराए की वस्ली के लिए कदम उठाए गए हैं। 2008-09 से 2012-13 (दिसम्बर 2012 तक) के दौरान नज़्ल संपत्तियों से ₹290.66 करोड़ का भूमि किराया वस्ला गया है। संबंधित पट्टेदारों को ब्याज सहित भूमि किराया जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जब कभी भी कोई भी आवेदक नामांतरण, प्रतिस्थापन, संपरिवर्तन आदि के लिए अनुरोध करता है, तो भूमि किराया सहित सभी बकाया राशि की वस्ली की जाती है।	(अप्रैल 2021) कि भूमि किराया संशोधन सैल के गठन के लिए मानव शक्ति सहित अतिरिक्त आधारभूत ढाँचे की आवश्यकता होगी। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी से संगत अनुमोदन की प्राप्ति आवश्यक होगी जिसमें कुछ समय लग

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	प्रभावित हुआ। अब जबिक आरजीआर सैल ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था, समिति ने मंत्रालय/ एलएंडडीओ पर यह दबाव डाला कि भूमि किराया के संशोधन के बकाया मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और यह सुनिश्चत किया जाए कि कार्य के पूर्ण होने तक सैल कार्यरत रहे। समिति नज़ूल संपत्तियों के भूमि किराया के सही बकाए अर्थात् वर्ष 2008-09 से 2012-13 (दिसम्बर 2012 तक) के दौरान ₹341.36 करोड़ के संग्रह के संबंध में और निश्चित समय सीमा में सभी बकाया भूमि किरायों की वसूली के लिए उठाए गए विशिष्ट और अतिरिक्त कदमों से भी अवगत होना चाहेगी।	अक्तूबर 2013 में पीएसी को प्रस्तुत मंत्रालय का आगे का जवाब 2008-09 से दिसंबर 2012 तक कुल संग्रहित भूमि किराया ₹341.36 करोड़ था, जिसमें ₹290.66 करोड़ केवल नज़ूल संपत्तियों से संबंधित था।	मामलों में आबंटन के बाद से भूमि किराया संशोधित नहीं किया गया था, और 7 मामलों में भूमि किराया देर से संशोधित किया गया था। (पैरा 3.3.2.2)
पैरा 27: मुद्रणालयों, पेट्रोल पम्पों और विद्यालयों द्वारा पट्टा शर्तों का उल्लंघन	अनुशंसाओं के अनुसरण में वर्ष 2011-12 में पेट्रोल पम्पों के 19 निरीक्षण किए गए और	एलएंडडीओ द्वारा निरीक्षण किए गए पेट्रोल पम्पों की संख्या 2011-12 में 19 से बढ़कर 2012-13 में 26 हो गई जिसके	निम्नलिखित जाँच-परिणाम प्राप्त हुए:

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	राशि तेल कंपनियों से भूमि किराये के लिए	थे और इनमें से 9 ने पहले ही बकाया भुगतान चुका दिया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.05 करोड़ की वसूली दुरुपयोग/ क्षिति शुल्क के रूप में हुई। मुद्रणालय प्लाटों के संबंध में भी पट्टे के नियमों एवं शर्तों के	की गणना और आबंटी से वसूली नहीं की गई थी। गुलाब सिंह एंड संस: सितम्बर 2012 के पश्चात केवल अगस्त 2018 में निरीक्षण किया गया

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर	वर्तमान स्थिति
		एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	
			<u>पेट्रोल पम्पः</u>
			मैसर्स प्रेम सर्विस स्टेशन:
			पिछला निरीक्षण 1995 में
			किया गया था। बकाया अंतिम
			अद्यतन देय राशि की गणना
			और आबंटी से वसूली नहीं की
			गई थी।
			मैसर्स कृष्णा फिलिंग सर्विस
			स्टेशन : जून 2008 में आबंटन
			के पश्चात् कोई निरीक्षण नहीं
			किया गया। बकाया अन्तिम
			अद्यतन देय राशि की गणना
			और आबंटी से वसूली नहीं की
			गई
			(अनुलग्नक-। देखें)
			विद्यालय:
			केन्द्रीय विद्यालय, एन्ड्रयूज
			गंज: जुलाई 2011 के पश्चात्
			कोई निरीक्षण नहीं किया गया।
			बकाया अन्तिम अद्यतन देय
			राशि की गणना और आबंटी से

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वीं} रिपोर्ट पर	वर्तमान स्थिति
		एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	
			वसूली नहीं की गई थी।
			विद्या भवन कन्या उच्च
			माध्यमिक विद्यालय, करोल
			बाग: जून 2008 के पश्चात्
			कोई निरीक्षण नहीं किया गया।
			बकाया अंतिम अद्यतन देय
			राशि की गणना और आबंटी से
			वस्ली नहीं की गई थी।
			बाल भारती विद्यालय, पूसा
			रोड़: निरीक्षण फरवरी 1999,
			जुलाई 2003, मई 2005,
			फरवरी 2012, अक्तूबर 2016 और फरवरी 2019 में किए
			गए। बकाया अन्तिम अद्यतन
			देय राशि की गणना और
			आबंटी से वसूली नहीं की गई
			थी।
			(अनुलग्नक-। देखें)
			इस प्रकार, एलएंडडीओ ने
			पीएसी के साथ किए गए अपने
			वादों को पूरा नहीं किया। इसने

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
			न तो निर्धारित अन्तरालों पर निरीक्षण किए और न ही बकाया अद्यतन राशि की गणना और वसूली इन आबंटियों से की।
59 ^{वे} प्रतिवेदन की अनुशंसा संख्या 14		डीडीए की भूमि दरों के आधार पर भूमि दरों के संशोधन के लिए एक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।	अप्रैल 2000 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मई/ जून 2017 में भूमि दरों को संशोधित किया गया था। आगे, एलएंडडीओ ने बताया (अप्रैल 2021) कि यह निर्णय लिया गया है कि एलएंडडीओ की दरें डीडीए की दरों के समक्रमिक होंगी। जब भी और जैसे ही डीडीए दरें जारी करता है, एलएंडडीओ में समान दरें लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	वास्तविक मूल्य उस सीमा के अनुरूप हो जिस सीमा तक बाज़ार दर बिना किसी		
	अपवाद के वसूल की जानी चाहिए। कॉमनवैल्थ खेलों के लिए एक होटल के		
	निर्माण के लिए एलएंडडीओं के द्वारा तीन एकड़ भूमि की नीलामी जिससे सरकार को		
	को ₹611 करोड़ कि राशि मिली, भूमि का सही मूल्य दर्शाती है। इसलिए ,समिति		
	मंत्रालय/ एलएंडडीओ से अनुरोध करती है कि		
	वह पारदर्शी तरीके से उच्च राजस्व अर्जित करने के लिए क्षमता का पूरी तरह से पता		
	लगाए और उसका दोहन करे ताकि नवीनीकरण और नए आबंटन के सभी मामलों		
	में भूमि का अधिकतम मूल्य निकाला जा सके विशेष रूप से, वाणिज्यिक पट्टों के		
	मामलों में। समिति आगे चाहती है कि डीडीए द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय औसत नीलिअमी दरों		
	के साथ वाणिज्यिक संपित्तियों के लिए प्रीमियम और भूमि किराए को जोड़ने की		
	व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाए जैसा कि समिति को आश्वासन दिया गया है।		

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
59 ^{वं} प्रतिवेदन की	किराया प्राप्तियां जोकि एलएंडडीओ की प्रमुख	40 वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाना है। आगे, भूमि किराया भूमि दरों की एक प्रतिशतता है। डीडीए की भूमि दरों के आधार पर भूमि दरों के संशोधन के लिए एक	प्रभाव से मई/ जून 2017 में
अनुशंसा संख्या 15	प्राप्तियों में से एक हैं, अपेक्षाकृत बेहद कम		भूमि दरों को संशोधित किया

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	लिए याद दिलाए, लेकिन यह जिम्मेदारी		
	नोडल मंत्रालय के पास है कि वह समय-समय		
	पर उचित नीतिगत निर्णयों के लिए कैबिनेट		
	से सम्पर्क करे। समिति मंत्रालय से यह		
	स्पष्टीकरण मांगती है कि उन्हें 1984 के		
	पश्चात् भूमि के किराए में वृद्धि के लिए		
	कैबिनेट के पास जाने से किस कारण ने रोका		
	और सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान		
	की पूर्ति कैसे की जा सकती है। आगे समिति		
	यह अनुशंसा करती है कि भूमि की दरों/ भूमि		
	के किराये में उचित संशोधन के लिए मामले		
	को अत्यावश्यकता के साथ कैबिनेट के समक्ष		
	ले जाया जाए। समिति यह भी अनुशंसा		
	करती है कि कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात		
	फरवरी 1984 के कार्यालय आदेश में निर्हित		
	संशोधन कि देय तिथि के पश्चात से बीत		
	चुके वर्षों की संख्या के आधार पर भूमि के		
	किराये में वृद्धि के लिए विशिष्ट गुणकों को		
	उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और		
	बकाया राशि को पूर्वव्यापी रूप से वसूल किया		
	जाए। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता		

पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
	नहीं है कि भूमि बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुरूप नियमित अंतराल पर अर्ध्वगामी संशोधन के लिए क्षेत्रवार किराया मूल्यों की अनुसूची पर भी विचार किया जाए जिससे कि प्राइम लोकेशनों पर एलएंडडीओ की विशाल सम्पतियों से उचित राजस्व प्राप्त हो सके।		
59 ^{र्व} प्रतिवेदन की अनुशंसा संख्या 26	समिति ने पाया है कि दिसम्बर 2010 तक 13 मामले सर्वोच्च न्यायलय में, 323 मामले उच्च न्यायालयों में और 273 मामले निचले न्यायालयों में लंबित हैं। इसी प्रकार, सम्पदा अधिकारी की अदालत में 303 मामले लंबित थे। समिति को सूचित किया जाता है कि इतने सारे अदालती मामलों का लंबित होना एलएंडडीओ के नियंत्रण से बाहर है क्योंकि इसमें न तो कोई कानूनी अनुभाग है और न ही अपना आधिवक्ताओं का कोई पैनल है जिसके लिए इसे कानून मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिवक्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यह मामले को और खराब करता है कि लंबे समय से एलएंडडीओ में कोई भी नियमित संपदा अधिकारी उपलब्ध	समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी प्रकोष्ठ के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित है: i. कानूनी प्रकोष्ठ के गठन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गई है। कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है ii. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ संपदा अधिकारी के पद पर एक अवर	एलएंडडीओ में कानूनी प्रकोष्ठ मौजूद नहीं पाया गया।

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

नहीं है और इसलिए एक अथवा दूसरे शाखा अधिकारी द्वारा अस्थायी आधार पर कार्यभार को संभाला जा रहा है। समिति ने पाया कि उपरोक्त बाधाओं को दूर करने के लिए अदालती मामलों, आरटीआई आवेदनों आदि से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एलएंडडीओं में एक अलग प्रकोष्ठ को गठित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। तथापि मंत्रालय का यह तर्क कि कानूनी प्रकोष्ठ के गठन के लिए एक निश्चित समय सीमा का संकेत देना संभव नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इसलिए समिति ने मंत्रालय पर कानूनी प्रकोष्ठ के गठन और एलएंडडीओं में एक स्थायी संपदा अधिकारी की नियक्ति के लिए	पैरा संख्या एवं विषय	अनुशंसा	जुलाई 2013 में पीएसी की 78 ^{वी} रिपोर्ट पर एलएंडडीओ द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
तत्काल आवश्यक उपाय प्रारम्भ करने के लिए दबाव डाला जिससे कि बड़ी संख्या में लंबित अदालती मामलों को न्यूनतम तक कम किया जा सके और बकाया की वसूली, अतिक्रमण आदि को हटाने के मामलों, जो अदालतों में मुकदमों से बाधित हैं, प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।		अधिकारी द्वारा अस्थायी आधार पर कार्यभार को संभाला जा रहा है। समिति ने पाया कि उपरोक्त बाधाओं को दूर करने के लिए अदालती मामलो, आरटीआई आवेदनों आदि से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एलएंडडीओ में एक अलग प्रकोष्ठ को गठित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। तथापि मंत्रालय का यह तर्क कि कानूनी प्रकोष्ठ के गठन के लिए एक निश्चित समय सीमा का संकेत देना संभव नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इसलिए समिति ने मंत्रालय पर कानूनी प्रकोष्ठ के गठन और एलएंडडीओ में एक स्थायी संपदा अधिकारी की नियुक्ति के लिए तत्काल आवश्यक उपाय प्रारम्भ करने के लिए दबाव डाला जिससे कि बड़ी संख्या में लंबित अदालती मामलों को न्यूनतम तक कम किया जा सके और बकाया की वसूली, अतिक्रमण आदि को हटाने के मामलों, जो अदालतों में मुकदमों से बाधित हैं, प्रभावी ढंग	सचिव स्तर के अधिकारी की	

अनुलग्नक -III (पैरा 3.3.2.1 में संदर्भित) बकाया भूमि किराया और उस पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

	1 C (• •••••••••••
सम्पात्त का पहचान		भूमि किराए पर ब्याज
} }		1 40
, ,,,		1.48
विद्या भवन कन्या उच्च माध्यमिक	0.47	0.55
विद्यालय, न्यू राजेन्द्र नगर		
डेली मिलाप, बहादुर शाह जफर मार्ग	164.32	134.93
डेली तेज, बहादुर शाह जफर मार्ग	61.03	1.64
गुलाब सिंह एंड सन्स, बहादुर शाह	45.73	9.16
जफर मार्ग		
होटल ली मैरीडियन, जनपथ	199.41	488.20
होटल तेज मानसिंह, मान सिंह रोड़	15.83	45.06
विमहान्स हॉस्पिटल, नेहरू नगर	0.59	0.27
सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल, तीस हजारी	0.15	0.08
एफ-2, क्नॉट प्लेस	23.67	45.25
अलंकार सिनेमा, लाजपत नगर	95.29	41.00
सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस,	32.82	0.49
राउज़ एवेन्यू		
ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दीन	41.32	6.59
दयाल उपाध्याय मार्ग		
इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,	5.64	6.04
भाई वीर सिंह मार्ग		
मैसर्स केसन एन्टरप्राईज़ेस (गैस	2.94	1.10
गोदाम), सरदार पटेल मार्ग		
बीपीसीएल, मैसर्स प्रेम सर्विस स्टेशन,	2.96	7.11
जे.बी. टीटो मार्ग		
	डेली मिलाप, बहादुर शाह जफर मार्ग डेली तेज, बहादुर शाह जफर मार्ग गुलाब सिंह एंड सन्स, बहादुर शाह जफर मार्ग होटल ली मैरीडियन, जनपथ होटल तेज मानसिंह, मान सिंह रोड़ विमहान्स हॉस्पिटल, नेहरू नगर सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल, तीस हजारी एफ-2, क्नॉट प्लेस अलंकार सिनेमा, लाजपत नगर सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस, राउज़ एवेन्यू ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भाई वीर सिंह मार्ग मैसर्स केसन एन्टरप्राईज़ेस (गैस गोदाम), सरदार पटेल मार्ग बीपीसीएल, मैसर्स प्रेम सर्विस स्टेशन,	भूमि किराए एवं अतिरक्त भूमि किराए सहित) केन्द्रीय विद्यालय, एन्ड्रयूज गंज विद्यालय, न्यू राजेन्द्र नगर डेली मिलाप, बहादुर शाह जफर मार्ग डेली मिलाप, बहादुर शाह जफर मार्ग वित्यालय, न्यू राजेन्द्र नगर डेली तेज, बहादुर शाह जफर मार्ग वीत तेज, बहादुर शाह जफर मार्ग होटल ली मैरीडियन, जनपथ होटल ली मैरीडियन, जनपथ होटल तेज मानसिंह, मान सिंह रोइ विमहान्स हॉस्पिटल, नेहरू नगर 0.59 सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल, तीस हजारी एफ-2, क्नॉट प्लेस अलंकार सिनेमा, लाजपत नगर सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस, राउज़ एवेन्यू ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भाई वीर सिंह मार्ग मैसर्स केसन एन्टरप्राईज़ेस (गैस गोदाम), सरदार पटेल मार्ग बीपीसीएल, मैसर्स प्रेम सर्विस स्टेशन,

2021 की प्रतिवेदन सं. 17

17	बीपीसीएल, कृष्णा फिलिंग सर्विस	145.85	64.41
	स्टेशन, मिन्टो रोड़		
18	17, जोर बाग	0.90	0.97
19	29, औरंगज़ेब रोड़	8.21	18.13
20	7, गैरेज, गोल मार्किट	0.09	0.09
21	1, हैली रोड़	19.70	19.51
	कुल	867.48	892.06